राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2025

मई 2026

रुचिरा साकल्ले
वैशाली धारीवाल
वेदिका भनोट

भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य में एक विधायिका का प्रावधान करता है। भारत के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दूचेरी में विधानसभाएं हैं। छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में दूसरा सदन, विधान परिषद भी है।

विधानमंडलों की तीन प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं: बिल पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना, सरकारी वित्त की जांच करना और उसे मंजूरी देना, और सरकार को जवाबदेह ठहराना। 2025 में राज्य विधानसभाओं ने 600 से अधिक बिल पारित किए और अपने राज्य के बजट की समीक्षा की। इस रिपोर्ट में 2025 में 27 राज्य विधानसभाओं और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज का विश्लेषण किया गया है। मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 से 4 फरवरी, 2026 तक राष्ट्रपति शासन लागू था, और 2025 में विधानसभा सत्र संचालित नहीं किया गया।

यह विश्लेषण राज्य विधानसभाओं, राज्य के गैजेट्स से प्राप्त आंकड़ों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित अनुरोधों के उत्तरों पर आधारित है। स्रोतों और पद्धतियों पर एक विस्तृत टिप्पणी पेज 31 पर उपलब्ध है।

संपूर्ण रिपोर्ट के रेखाचित्रों में राज्य विधानसभाओं के लिए निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम
आंध्र प्रदेश	AP	जम्मू और कश्मीर	JK	पंजाब	PB
अरुणाचल प्रदेश	AR	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
असम	AS	केरल	KL	सिक्किम	SK
बिहार	BR	मध्य प्रदेश	MP	तमिलनाडु	TN
छत्तीसगढ़	CG	महाराष्ट्र	MH	तेलंगाना	TG
दिल्ली	DL	मणिपुर	MN	त्रिपुरा	TR
गोवा	GA	मेघालय	MG	उत्तराखंड	UK
गुजरात	GJ	मिज़ोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हरियाणा	HR	नागालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB
हिमाचल प्रदेश	HP	ओड़िशा	OD		
झारखंड	JH	पुद्दूचेरी	PY		

विषय सूची

खंड	पेज नंबर
राज्य विधानमंडलों का कामकाज	1
विषय आधारित कानून	10
स्रोत और कार्य पद्धति	31
अनुलग्नक 1: 2025 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स की सूची, जिन्हें स्वीकृति मिली	33
अनुलग्नक 2: 2025 में राज्यों द्वारा पारित लेकिन स्वीकृत नहीं हुए बिल्स की सूची	44
अनुलग्नक 3: 2025 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची	47

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

राज्य विधानमंडलों का कामकाज

भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के साथ-साथ दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधायिका या विधानमंडल का प्रावधान करता है। इन विधानमंडलों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और ये तीन मुख्य कार्य करते हैं: बिल को पेश करना, उनकी समीक्षा करना और उन्हें पारित करना, जो कानून बन जाते हैं; प्रश्न और प्रस्ताव जैसे माध्यमों से सरकार को जवाबदेह ठहराना; और वार्षिक बजट पर चर्चा और अनुमोदन सहित सार्वजनिक वित्त की समीक्षा करना। 2025 में राज्य विधानसभाओं की औसत 24 दिन बैठक हुई, जो 2024 के 21 दिनों और 2023 के 23 दिनों की तुलना में मामूली वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान इन विधानसभाओं ने सामूहिक रूप से 600 से अधिक बिल पारित किए।

2025 विधानसभाओं की औसत 24 दिन बैठक हुई

राज्य विधानसभाओं की औसत 24 दिन बैठक हुई जिनमें नागालैंड में वर्ष में सात दिन और ओड़िशा में 43 दिन की बैठकें शामिल हैं। कुछ राज्यों ने कानून बनाकर या अपनी कार्य प्रणाली के नियमों के माध्यम से वर्ष में विधानसभा की बैठकों का एक न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, कोई भी राज्य अपने इस निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका।

रेखाचित्र 1: विभिन्न राज्यों में कुल बैठक के दिन और कुछ राज्यों के लिए अनिवार्य बैठक के दिन

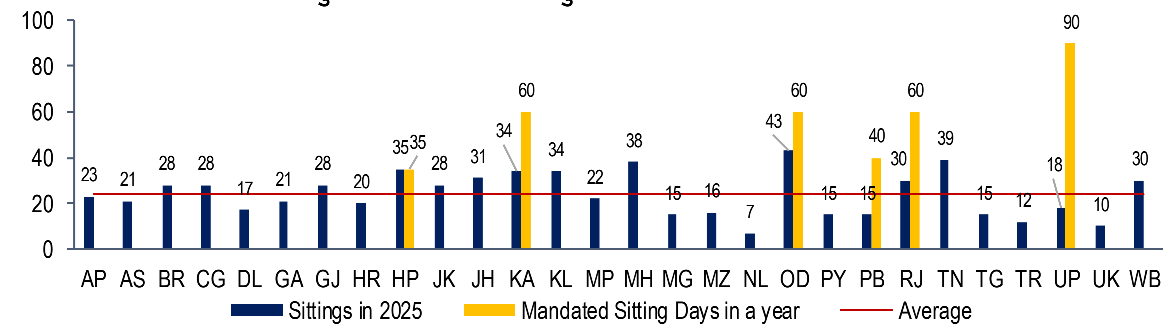

नोट: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

विधानसभा सत्र सिर्फ उतने ही दिन चले, जितना संविधान के नियमों के तहत जरूरी है

संविधान के अनुसार, किसी राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2025 में सभी राज्यों ने इस आवश्यकता का पालन किया। कई मामलों में राज्यों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बैठकें कीं। उदाहरण के लिए, असम ने मार्च और नवंबर सत्रों के बीच जून में एक दिवसीय सत्र आयोजित किया। गुजरात ने मार्च में सत्र स्थगित होने के बाद सितंबर में तीन दिनों के लिए बैठक की। राजस्थान में दो सत्रों के बीच का अंतराल पांच महीने और आठ दिन था, जबकि मेघालय में यह अंतराल पांच महीने और 26 दिन था। अधिकांश बैठकें वर्ष की पहली तिमाही में होती हैं, जब राज्य अपने बजट पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए बैठक करते हैं।

तालिका 1: पूरे वर्ष में बैठकों का वितरण

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
AP		2	13						8			
AS		4	11			1					5	
BR		1	17				5					5
CG		4	14				5				1	4
DL		4	6	2				5				
GA		2	3				9	6	1			
GJ		7	18						3			
HR			12					4				4
HP			15					10	2		3	5
JK			18	4						6		
JH		4	16					6				5
KA			15					9				10
KL	5	5	12						7	4	1	
MP			9				4	4				5
MH			16			1	14					7
MG		1	9						5			
MZ		2	12					2				

NL			5						2			
OD		8	16	1					7		3	8
PY		1	13						1			
PB			6		1		4		2		1	1
RJ	1	11	12						6			
TN	5		12	18						4		
TG			11					2	1			1
TR	3		6	1					2			
UP		7	3					4				4
UK		5						2			3	
WB		7	8			12			3			

नोट: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

कुछ राज्यों में लंबे सत्र चले, जिनमें सदन को स्थगित नहीं किया गया

संसद और अधिकतर राज्यों में आमतौर पर हर वर्ष तीन सत्र आयोजित किए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र राज्यपाल के आह्वान पर प्रारंभ होता है और राज्यपाल द्वारा सत्र स्थगित किए जाने पर समाप्त होता है। दोनों ही मामलों में राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में सत्र लंबी अवधि तक चले (रेखाचित्र 2)। पश्चिम बंगाल का सत्र जो 2023 में शुरू हुआ, 2026 तक चला। चूंकि सत्र स्थगित नहीं किए गए, इसका अर्थ यह था कि अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के आह्वान की आवश्यकता के बिना ही सत्र बुलाया जा सकता था।

रेखाचित्र 2: 2025 में विधानसभाओं के सबसे लंबे सत्र की अवधि

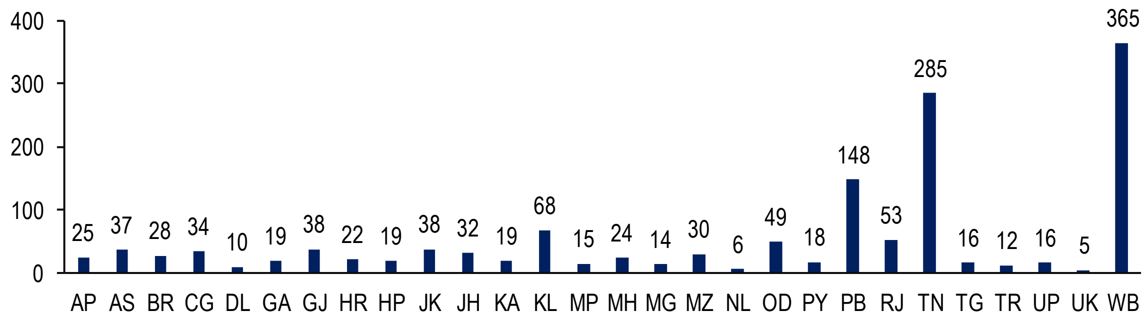

नोट: सत्र की अवधि सत्र के प्रारंभ और समाप्ति की तारीख से गिनी जाती है। पश्चिम बंगाल में, 2023 में शुरू हुआ विधानसभा सत्र 2026 तक चला। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

बैठक के दिनों की औसत संख्या में मामूली सुधार हुआ है, फिर भी यह काफी कम बना हुआ है

राज्य विधानसभाओं की बैठकों के औसत दिन 2024 में 21 दिनों से बढ़कर 2025 में 24 दिन हो गए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक औसत है। 2021 और 2025 के बीच केरल ने सबसे अधिक बैठक की। यहां हर वर्ष औसत 41 दिन बैठकें हुईं, इसके बाद ओड़िशा रहा, जहां औसत 39 दिन बैठकें हुईं और तीसरा स्थान कर्नाटक का रहा, जहां औसत 37 दिन बैठकें हुईं। बैठक की सबसे कम औसत संख्या नागालैंड में आठ दिन और त्रिपुरा में नौ दिन दर्ज की गई।

रेखाचित्र 3: विधानसभाओं की औसत बैठकें

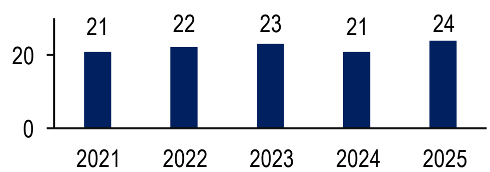

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

वर्ष के दौरान विधानसभाओं की बैठकें औसतन 133 घंटे चलीं

औसतन राज्य विधानसभाओं की बैठकें 133 घंटे चलीं, और अलग-अलग राज्यों में बैठक की अवधि में काफी अंतर देखा गया। महाराष्ट्र में हर बैठक की औसत अवधि नौ घंटे रही, जबकि पश्चिम बंगाल में तीन घंटे। कई राज्यों ने अपने नियमों में दैनिक बैठक की अवधि निर्धारित की है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने निर्धारित समय से अधिक समय तक बैठकें कीं, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और पंजाब जैसे राज्यों ने निर्धारित समय से कम समय तक बैठकें कीं।

रेखाचित्र 4: विधानसभा बैठकों की औसत अवधि (प्रति बैठक घंटों में)

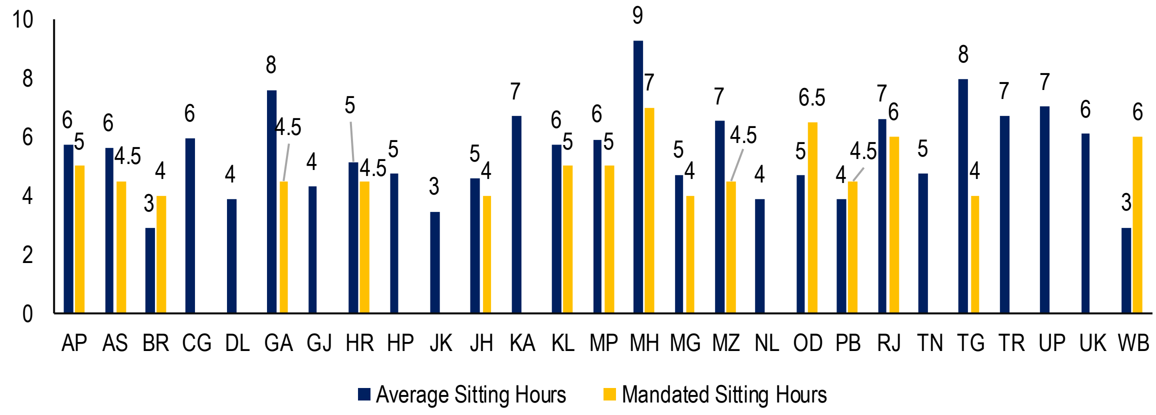

नोट: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पुद्दूचेरी के लिए बैठक का समय उपलब्ध नहीं था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

विधान परिषदों ने संबंधित विधानसभा के बराबर या उससे कम दिनों के लिए बैठक की

रेखाचित्र 5: विधानसभाओं और विधान परिषदों में बैठकें

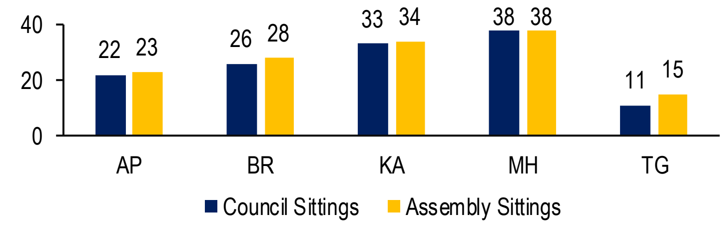

छह राज्यों में दो सदन वाले विधानमंडल हैं, जिनमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद शामिल हैं। 2025 में, विधान परिषदों की बैठकें औसतन 26 दिनों तक चलीं, जो तेलंगाना में 11 दिनों से लेकर महाराष्ट्र में 38 दिनों तक थीं।

नोट: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

राज्यों ने औसत 22 बिल पारित किए

राज्य विधानसभाओं ने 2025 में 600 से अधिक बिल पारित किए, जो 2024 में पारित लगभग 500 बिल से अधिक है। कर्नाटक ने 34 सत्रों में सबसे अधिक बिल (84) पारित किए। असम ने 21 सत्रों में 60 बिल पारित किए।

रेखाचित्र 6: 2025 में राज्य विधानसभाओं में पारित होने वाले बिल्स की संख्या

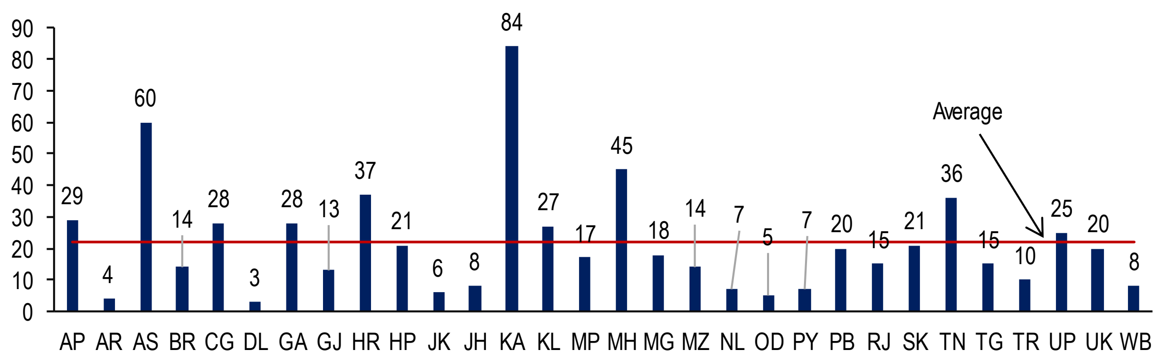

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

30% बिल्स पेश किए जाने के दिन ही पारित

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मिज़ोरम, पुद्दूचेरी और पंजाब सहित सात विधानसभाओं ने सभी बिल्स को या तो पेश किए जाने के दिन या अगले ही दिन पारित कर दिया। जिन राज्यों ने अधिक संख्या में बिल पारित किए, उन्होंने अक्सर उनमें से कई बिल्स को एक ही बैठक में पारित कर दिया। कर्नाटक ने एक बैठक में 17 बिल और दूसरी बैठक में 12 बिल पारित किए, जबकि असम ने एक ही बैठक में 14 बिल पारित किए।

रेखाचित्र 7: विधानसभाओं में बिल पारित करने में लगने वाला समय

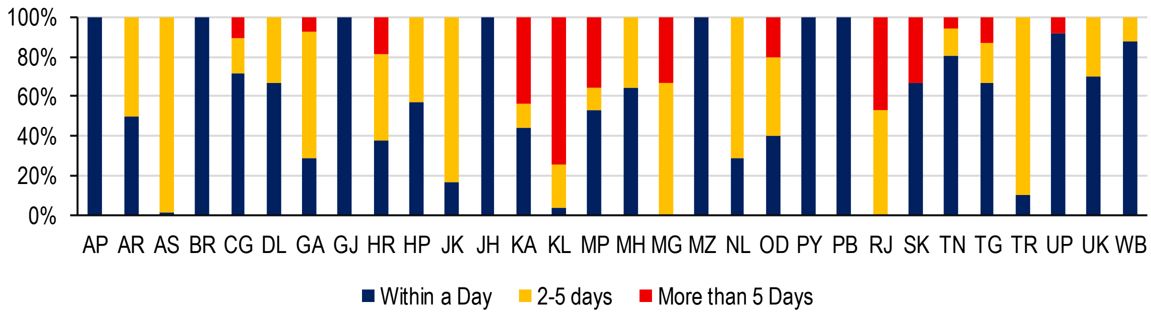

नोट: बिल के पारित होने में लगने वाला समय सदन में बिल के प्रस्तुत होने की तारीख से पारित होने की तारीख तक गिना गया है। महाराष्ट्र के मामले में, विधान परिषद में नौ बिल प्रस्तुत किए गए थे; इन बिल्स के पारित होने का समय विधान परिषद और विधानसभा में पारित होने की तारीख के आधार पर गिना गया है। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

कुछ ही बिल समितियों को भेजे गए

रेखाचित्र 8: समितियों को भेजे गए बिल्स का प्रतिशत

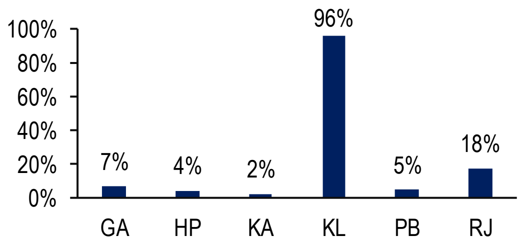

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

राज्य विधानमंडल बिल की विस्तृत समीक्षा और सरकारी व्यय की निगरानी के लिए समितियां गठित करते हैं। समितियां बिल के प्रावधानों की समीक्षा करती हैं, उनके प्रभावों का मूल्यांकन करती हैं और सदन को सिफारिश पेश करने से पहले विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव मांग सकती हैं। बिल को समिति को भेजना अनिवार्य नहीं है। 2025 में जिन छह राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें पेश किए गए 5% बिल्स को ही समितियों को भेजा गया।

समितियों को भेजे गए सभी बिल्स में से 90% पर अब तक रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं

रेखाचित्र 9: समिति को रिपोर्ट पेश करने में लगने वाला समय

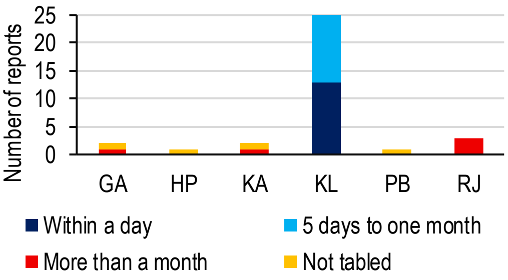

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

केरल ने 25 बिल्स को संबंधित समितियों को भेजा। सभी समितियों की रिपोर्ट्स एक महीने के अंदर पेश की गईं, जिनमें से 13 एक ही दिन में पेश की गईं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, एक-एक बिल प्रवर समिति (सिलेक्ट कमिटी) को भेजा गया, लेकिन अभी तक किसी की भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। राजस्थान में, समितियों को भेजे गए तीन बिल्स पर रिपोर्ट एक महीने से अधिक समय बाद पेश की गईं। कर्नाटक और गोवा ने दो-दो बिल प्रवर समितियों को भेजे; दोनों राज्यों में, अभी तक केवल एक रिपोर्ट पेश की गई है, और प्रत्येक रिपोर्ट को पेश करने में एक महीने से अधिक समय लगा।

विधायी प्रक्रिया में समितियों की भूमिका

2025 में गोवा विधानसभा ने गोवा आउटडोर विज्ञापन (रेगुलेशन एवं नियंत्रण) बिल, 2025 को प्रवर समिति को भेजा। समिति ने पाया कि बिल की प्रस्तावना में केवल होर्डिंग्स का उल्लेख है, जबकि कई प्रावधान आउटडोर विज्ञापनों की एक व्यापक श्रेणी पर लागू होते हैं। समिति ने कई सुझाव दिए, जैसे बिल के दायरे को सीमित करना, होर्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साधनों की उदाहरण सूची को संशोधित करना और दंडात्मक प्रावधानों को स्पष्ट करना।[1] बिल में इन सुझावों को शामिल किया गया और बाद में इसे गोवा होर्डिंग्स (रेगुलेशन एवं नियंत्रण) एक्ट, 2025 के रूप में पारित किया गया।

राजस्थान में तीन बिल प्रवर समितियों को भेजे गए: राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंधन) अथॉरिटी बिल, 2024, राजस्थान भूमि राजस्व (संशोधन एवं सत्यापन) बिल, 2025 और राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं रेगुलेशन) बिल, 2025। तीनों मामलों में समितियों ने बिल में संशोधन का सुझाव दिया।[2,3] विधानसभा ने बिल्स को रिपोर्ट्स के अनुसार पारित कर दिया।

पारित होने के एक महीने के भीतर ही 66% बिल्स को राज्यपाल की मंज़ूरी

किसी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलनी जरूरी है। 2025 में 66% बिल्स को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के एक महीने के भीतर मंज़ूरी मिल गई, जबकि लगभग 6% बिल्स को मंज़ूरी मिलने में तीन महीने से अधिक समय लगा। 2024 में 60% बिल्स को एक महीने में मंज़ूरी मिल गई थी।

अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में सभी बिल्स को पारित होने के एक महीने के भीतर ही मंज़ूरी मिल गई। हिमाचल प्रदेश और झारखंड में लगभग आधे बिल्स को मंज़ूरी मिलने में तीन महीने से अधिक का समय लगा।

रेखाचित्र 10: मंजूरी मिलने में लगने वाला समय

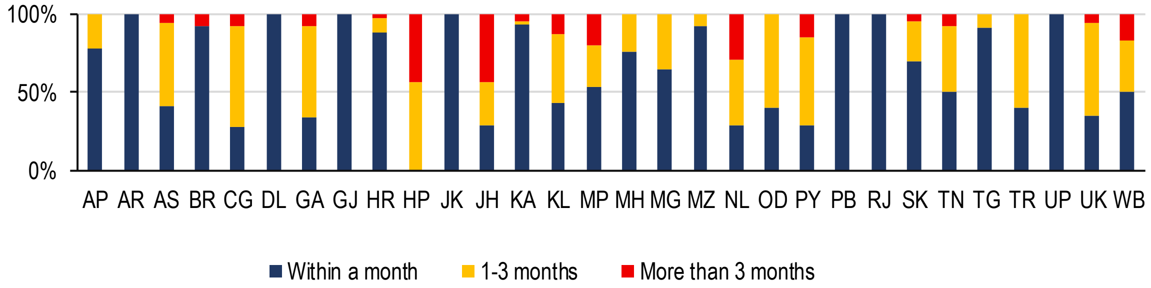

नोट: द्विसदनीय विधानसभाओं में मंजूरी के समय को ऐसे गिना गया है कि जब बिल को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था, यानी दूसरे सदन में उसे पारित कर दिया गया था। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा द्वारा पारित होने की तारीख उपलब्ध नहीं होने के कारण, इन राज्यों के लिए मंजूरी का समय विधानसभा द्वारा पारित होने की तारीख के आधार पर गिना गया है।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

बिल्स पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समय-सीमा तय की, राष्ट्रपति ने स्पष्टीकरण मांगा

संविधान राज्यपाल को किसी बिल पर तीन विकल्प देता है: उसे मंजूर करना, उसे वापस भेजना या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, लेकिन इसके लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है। 2022 और 2024 के बीच, तीन राज्यों- तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल- ने राज्यपालों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के मामलों पर अदालतों का रुख किया।[4,5] तमिलनाडु का मामला 2020 से 2023 तक लंबित 12 बिल्स से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के बाद, राज्यपाल ने 10 बिल वापस भेज दिए; विधानसभा ने उन्हें दोबारा पारित किया, लेकिन राज्यपाल ने फिर उन्हें राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया।[6] नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों की निष्क्रियता पर तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई की। अप्रैल 2025 में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपालों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिल पर कार्रवाई करनी होगी, जिसमें मंजूरी देने या वापस लौटाने के लिए एक महीने और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने हेतु तीन महीने की समय-सीमा तय की गई। अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने नवंबर 2023 तक तमिलनाडु के सभी 10 बिल्स को मंजूर मान लिया।

इसके बाद राष्ट्रपति ने मई 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 14 प्रश्न भेजे। इस संदर्भ में पूछा गया कि क्या अदालतें राज्यपालों और राष्ट्रपति पर समय-सीमा थोप सकती हैं, क्या 'मान ली गई सहमति' (डीम्ड असेंट) संवैधानिक रूप से वैध है, और क्या अदालतें किसी बिल के कानून बनने से पहले उसमें दखल दे सकती हैं। नवंबर 2025 में पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने अपनी सलाहकारी राय पेश की।[7] उसने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोप सकतीं और 'मान ली गई सहमति' असंवैधानिक है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा बिल के कानून बनने से पहले नहीं की जा सकती। हालांकि, पीठ ने यह माना कि अनिश्चितकालीन निष्क्रियता अस्वीकार्य है। अदालतें लंबे समय तक, अस्पष्ट विलंब के मामलों में राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती हैं, हालांकि वे अंतिम निर्णय नहीं दे सकतीं। राज्यपाल के पास तीन विकल्प शेष हैं: मंजूरी देना, कारणों सहित वापस भेजना या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। तमिलनाडु के 10 बिल्स की कानूनी वैधता बरकरार रही।

127 अध्यादेश जारी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या

संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल विधानसभा सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कानून के समान प्रभावी होते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं और विधानसभा की अगली बैठक के छह सप्ताह के भीतर उन्हें स्वीकृत होना चाहिए। 2025 में 127 अध्यादेश जारी किए गए। यह संख्या 2024 में जारी किए गए 100 अध्यादेशों से अधिक है। कर्नाटक और मेघालय ने 2024 की तुलना में अधिक अध्यादेश जारी किए, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अध्यादेशों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई।

रेखाचित्र 11: 2025 में जारी अध्यादेशों की संख्या

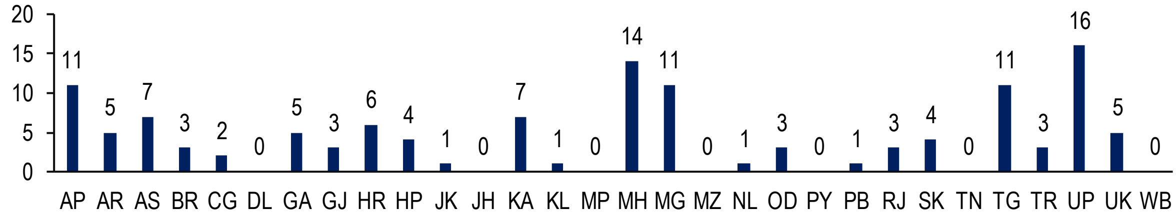

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

रेखाचित्र 12: जारी होने वाले अध्यादेशों के विषय

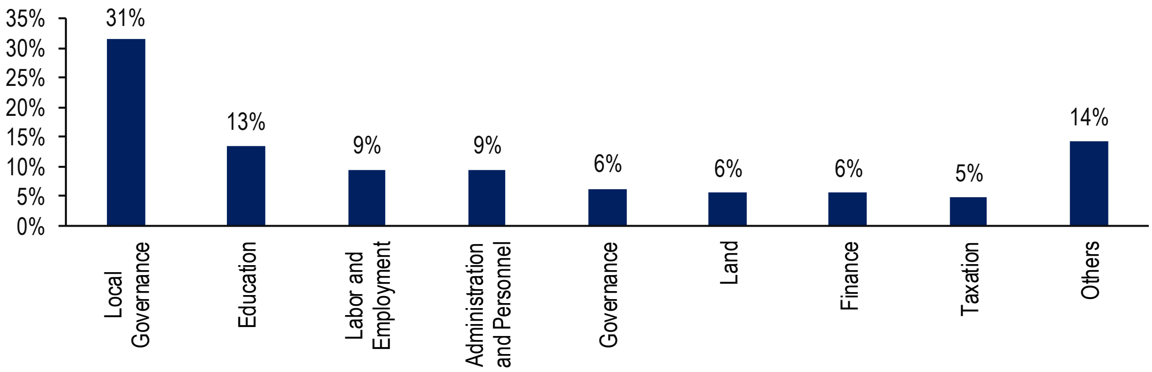

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

इन अध्यादेशों में से 31% स्थानीय प्रशासन से संबंधित थे, जिनमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यादेशों की संख्या सबसे अधिक थी। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित 13% अध्यादेश जारी किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश ने निजी विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने के लिए चार अध्यादेश जारी किए। मेघालय और कर्नाटक ने चिकित्सा संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए अध्यादेश जारी किए।

राज्यों में वार्षिक बजट पर चर्चा करने में औसत आठ दिन लगे

विधानसभाओं का एक प्रमुख कार्य वार्षिक बजट पर चर्चा और अनुमोदन के जरिए सरकारी वित्त की समीक्षा करना है। इस प्रक्रिया के दो चरण होते हैं: बजट पर सामान्य चर्चा, जिसके बाद प्रत्येक विभाग के व्यय पर विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। औसतन, राज्य बजट पर चर्चा में आठ दिन लगे। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां बजट पर चर्चा में 20 दिनों से अधिक समय व्यतीत हुआ।

रेखाचित्र 13: बजट चर्चा कितने दिन हुई

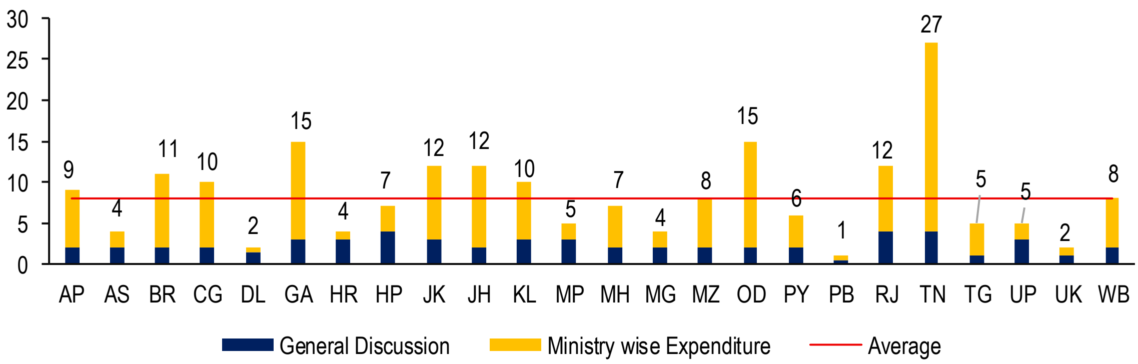

नोट: अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। पंजाब में उसी दिन आम बजट और मंत्रालयवार व्यय पर चर्चा हुई। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

केंद्रीय बजट पर आम चर्चा के बाद और मंत्रालयों के बजट पर चर्चा से पहले संसद तीन से चार सप्ताह के लिए स्थगित हो जाती है। इस दौरान विभागीय स्थायी समितियां (डिपार्टमेंटली-रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़) प्रत्येक मंत्रालय के विस्तृत व्यय अनुमानों की समीक्षा करती हैं और मंत्रालय के अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाती हैं। ये समितियां विस्तृत चर्चा शुरू होने से पहले बजट पर अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। इससे सभी मंत्रालयों के बजट की गहन समीक्षा करने में मदद मिलती है और सदन में बजट पर चर्चा करते समय सदस्यों को मुद्दों की बेहतर जानकारी होती है।

कुछ ही राज्य विधानसभाएं इन परंपराओं का पालन करती हैं। केरल और हरियाणा की विषय संबंधी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों के बजट पर रिपोर्ट पेश कीं। मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब और उत्तराखंड की चार विधानसभाओं ने आम बजट पर चर्चा के तुरंत बाद विभागों के बजट पर चर्चा शुरू कर दी। वहीं कुछ राज्य बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अधिक समय देते हैं। केरल ने आम चर्चा के 20 दिन बाद, पश्चिम बंगाल ने 19 दिन बाद और ओड़िशा ने 17 दिन बाद चर्चा शुरू की।

रेखाचित्र 14: आम चर्चा और मंत्रालयों की व्यय संबंधी चर्चा के बीच का अंतराल

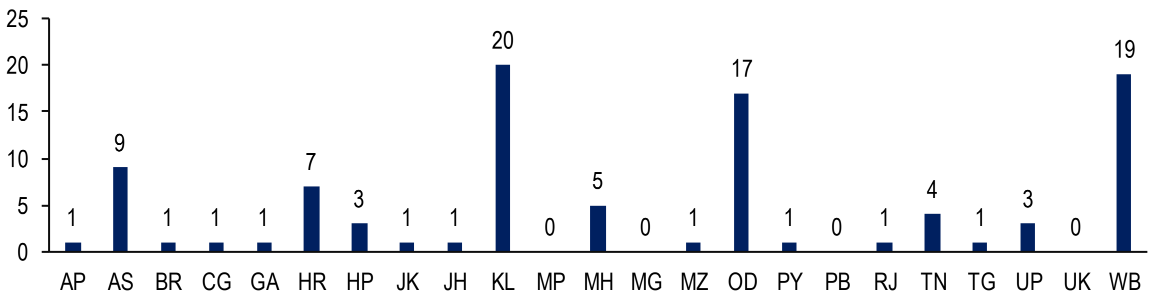

नोट: अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

तमिलनाडु ने 23 दिन में सभी विभागों के बजट पर चर्चा की, और हरियाणा ने एक दिन में

विभागों के खर्च पर चर्चा के बाद, पूरे बजट पर मतदान होता है। हर विभाग के बजट पर अलग-अलग मतदान हो सकता है या सभी विभागों के बजट को एक साथ मिलाकर मतदान किया जा सकता है। 2025 में हरियाणा, गोवा और तमिलनाडु ने मतदान से पहले सभी विभागों के बजट पर चर्चा की। जहां तमिलनाडु ने इन बजट पर चर्चा में 23 दिन लगाए, वहीं हरियाणा ने एक दिन में ही चर्चा पूरी कर ली। असम, हिमाचल प्रदेश और झारखंड ने बिना चर्चा के ही अपने बजट का 70% से ज़्यादा हिस्सा पारित कर दिया।

रेखाचित्र 15: चर्चा किए गए व्यय का प्रतिशत

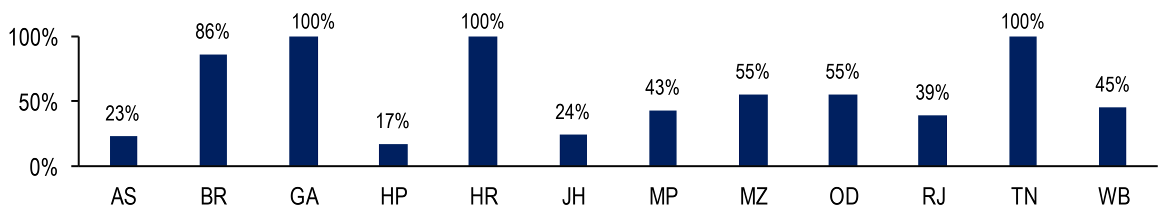

नोट: अन्य राज्यों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

आठ विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद रिक्त

तालिका 2: उपाध्यक्ष के बिना राज्य

राज्य	कितने वर्ष से उपाध्यक्ष नहीं
छत्तीसगढ	2.4
हिमाचल प्रदेश	0.5
जम्मू एवं कश्मीर	1.5
झारखंड	21.2
मध्य प्रदेश	6.1
राजस्थान	7.3
उत्तर प्रदेश	4.3
उत्तराखंड	4.2

नोट: मई 2026 तक के आंकड़े।

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत हर विधानसभा के लिए ज़रूरी है कि वह जल्द से जल्द एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने। हालांकि मई 2026 तक आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपाध्यक्ष नहीं थे। झारखंड में यह पद 20 वर्ष से ज़्यादा समय से खाली है, जबकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा ने अपने कार्यकाल के चार वर्ष बीतने के बाद भी किसी को उपाध्यक्ष नहीं चुना है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा ने भी 2019 से कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं और अध्यक्ष को हटाने के प्रस्तावों पर होने वाली कार्यवाही की अध्यक्षता भी करते हैं।

विषय आधारित कानून

संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों को सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। इस खंड में 2025 में पारित होने वाले बिल्स की झलक है। पारित किए गए सभी बिल्स में से लगभग आधे बिल तीन मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं: शिक्षा, वित्त और स्थानीय शासन। पारित किए गए सभी बिल्स में से लगभग 45% बिल तीन मुख्य क्षेत्रों से जुड़े हैं: स्थानीय शासन, शिक्षा और टैक्स। कई राज्यों ने भूमि, प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े बिल भी पारित किए। निम्नलिखित बिल्स की सूची अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में दी गई है और ये पीआरएस की वेबसाइट www.prsindia.org पर उपलब्ध हैं।

रेखाचित्र 16: 2025 में राज्य विधानसभाओं में किन विषयों पर बिल पारित किए गए

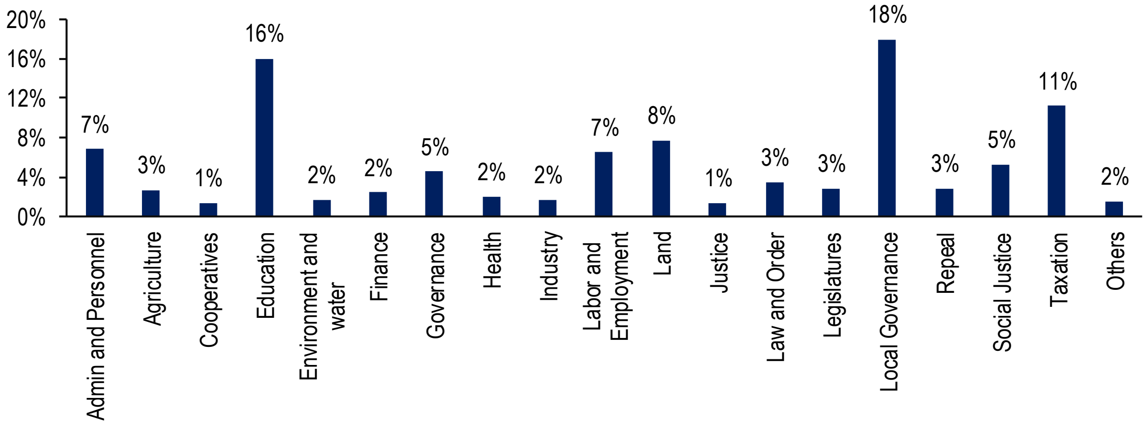

नोट: 'अन्य' (others) में संस्कृति और पर्यटन, खनन, खेल और परिवहन जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसमें एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं।

कानून एवं व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने संगठित अपराध से जुड़े बिल पारित किए

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) बिल, 2025 के अनुसार, संगठित अपराध का मतलब है, जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर आर्थिक या भौतिक लाभ के लिए लगातार डरा-धमका कर या हिंसा के बल पर कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं। इस लोगों के ख़िलाफ पिछले 10 वर्षों में एक से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। गैर-कानूनी काम या गतिविधि में अवैध खनन, मानव अंगों की तस्करी, भोजन और दवाओं में मिलावट, और मैच फिक्सिंग शामिल हो सकते हैं। अगर इस अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक हो सकती है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र ने संगठित अपराध की परिभाषा का दायरा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट, 1999 में संशोधन किया है। अब इसमें व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और निर्माण से जुड़े अपराध भी शामिल हैं।

तमिलनाडु ने महिलाओं का उत्पीड़न करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया

तमिलनाडु ने तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध एक्ट, 1998 में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी पुरुष द्वारा किया गया ऐसा अभद्र व्यवहार भी शामिल है जिससे खतरा या डर पैदा हो। इस कानून में उत्पीड़न के लिए तीन वर्ष तक के कारावस और अधिकतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन के बाद, इस अपराध के लिए कारावास की सजा को बढ़ाकर अधिकतम पांच वर्ष और न्यूनतम जुर्माने को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा 10 वर्ष तक हो सकती है और न्यूनतम जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। मौत या शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

कर्नाटक ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए एक बिल पारित किया

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल, 2025 के तहत 'हेट स्पीच' का मतलब है, सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति (चाहे वह लिखकर, बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कही गई हो) जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, अशांति फैलाना या दुश्मनी या दुर्भावना पैदा करना हो। ऐसी अभिव्यक्ति किसी जीवित या मृत व्यक्ति, या किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ धर्म, लिंग, जाति, यौन रुझान (सेक्सुअल ओरिएंटेशन), निवास स्थान या भाषा जैसे आधारों पर की जानी चाहिए। 'हेट क्राइम' का मतलब है, ऐसी हेट स्पीच को प्रसारित करना, बढ़ावा देना या ऐसा करने की कोशिश करना। ऐसे अपराधों के लिए सात वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने पर एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। यह कानून हेट क्राइम के पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा देने का भी प्रावधान करता है।

कर्नाटक ने समारोहों में भीड़ नियंत्रण के लिए बिल पेश किया

कर्नाटक भीड़ नियंत्रण बिल, 2025 के तहत, कार्यक्रम के आयोजक को भीड़ के आकार (यानी संख्या) के आधार पर संबंधित अथॉरिटी से मंज़ूरी लेनी होगी। उदाहरण के लिए, 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर मंज़ूरी देंगे। मंज़ूरी के लिए आवेदन कार्यक्रम से 10 दिन पहले करना होगा। बिना मंज़ूरी वाले कार्यक्रमों के लिए सात वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। आयोजक इंसानी जान के नुकसान या सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। यह बिल समीक्षा के लिए समिति के पास लंबित है।

हरियाणा ने सार्वजनिक जुए, सट्टे और मैच फिक्सिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया

यह बिल जुआ खेलने, जुए का अड्डा चलाने या उस पर मालिकाना हक रखने और मैच फिक्सिंग पर रोक लगाता है और इनके लिए सजा का प्रावधान करता है। सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलने पर एक वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुए का अड्डा चलाने या उसका मालिक होने और मैच फिक्सिंग, हर एक अपराध के लिए पांच वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश ने जन सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए एक बिल पारित किया

हिमाचल प्रदेश जन सुविधाओं के परिवर्तन की रोकथाम बिल, 2025 किसी भी व्यक्ति या कंपनी को जनता के हित को नुकसान पहुंचाकर, किसी निजी व्यक्ति या कंपनी की जमीन पर बनी सड़कों, रास्तों औऱ नहरों जैसी जन सुविधाओं में बाधा डालने, उन्हें बदलने या तोड़ने से रोकता है।

हरियाणा ने शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए कानून बनाया

हरियाणा ने शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया है। यह कानून प्रदर्शनों के लिए शवों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। उल्लंघन करने पर छह महीने से पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक बल के गठन और रेगुलेशन के लिए बिल पारित किया

छत्तीसगढ़ ने राज्य भर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल के गठन से संबंधित बिल पारित किया। यह कानून राज्य सरकार को इस बल के गठन, तैनाती और रेगुलेशन का अधिकार देता है, और इसके कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और सेवा शर्तों को निर्धारित करता है।

असम ने जिला-स्तरीय पुलिस की जवाबदेही तय करने वाले निकाय स्थापित किए

असम ने हर पुलिस जिले या जिलों के समूह में जिला पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण बनाने के लिए असम पुलिस एक्ट, 2007 में संशोधन किया। यह प्राधिकरण जिला पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतों को दर्ज करेगा और उनकी जांच करेगा।

असम ने बहुविवाह को प्रतिबंधित करने वाला बिल पारित किया

असम ने सभी समुदायों के लिए बहुविवाह पर रोक लगाने वाला एक बिल पारित किया है, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों और स्वायत्त जिला क्षेत्रों के निवासियों को छूट दी गई है। बहुविवाह के पहले अपराध के लिए सात वर्ष

तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में उन महिलाओं को मुआवज़ा देने की भी व्यवस्था है जो बहुविवाह की शिकार हुई हैं।

पंजाब ने पवित्र धर्मग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए एक बिल पेश किया

यह बिल पवित्र धर्मग्रंथों के अपमान के कृत्यों के लिए कम से कम 10 वर्ष के कारावास (जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) और पांच लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। इस बिल को एक प्रवर समिति को भेजा गया है।

न्याय

कुछ राज्यों ने जेलों और कैदियों से जुड़े कानून पारित किए

महाराष्ट्र और झारखंड ने अपने-अपने राज्यों में जेलों के प्रशासन के लिए बिल पारित किए। महाराष्ट्र जेल और सुधार सेवा एक्ट, 2025 के तहत राज्य को आठ तरह की जेलें बनानी होंगी। इनमें शामिल हैं: कैदियों को नियमित जेल के बाहर ज़्यादा आज़ादी देने के लिए 'ओपन जेल'; इमरजेंसी या ज़्यादा भीड़ होने की स्थिति में 'अस्थायी जेल'; और किशोर अपराधियों के लिए 'बोर्स्टल संस्थान'। इस कानून में एक 'जेल फ़ोर्स' बनाने का भी प्रावधान है, जिसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल होंगे।

झारखंड जेल और सुधार सेवा एक्ट, 2025 के तहत जेलों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांस-पुरुषों और ट्रांस-महिलाओं के लिए अलग सेल और खास स्वास्थ्य सेवा की सुविधा दी जाएगी। महिला कैदियों को जिला अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने की इजाज़त होगी। बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा दी जाएगी और वे छह वर्ष की उम्र तक, या राज्य सरकार की मंज़ूरी मिलने तक अपनी माताओं के साथ रह सकेंगे।

पंजाब ने विचाराधीन कैदियों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए कैदियों का स्थानांतरण एक्ट, 1950 में संशोधन किया है। हालांकि इसके लिए निचली अदालतों और दोनों राज्यों की सहमति होना अनिवार्य है। मामले की अदालती कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

असम और मध्य प्रदेश ने ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए कानून पारित किए

असम जिला भूमि ट्रिब्यूनल एक्ट, 2025 का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में जमीन पर कब्ज़े और जमीन से जुड़े विवादों के मामलों की देखरेख के लिए जिला भूमि ट्रिब्यूनल स्थापित करना है।

मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, 1983 में संशोधन किया है। यह कानून राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के साथ किए गए 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' (कार्य अनुबंध) से जुड़े विवादों के निपटारे (आर्बिट्रेशन) को रेगुलेट करता है। इस संशोधन के तहत 'निगम' की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब नगर निगम और पंचायतों जैसे स्थानीय निकाय भी शामिल होंगे। अब 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' में सहायक समझौते भी शामिल हो सकते हैं।

नागालैंड ने पारंपरिक अदालतें स्थापित करने के लिए कानून में संशोधन किया

राज्य ने नागालैंड में न्याय और पुलिस प्रशासन के नियम एक्ट, 1937 में संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य तीन तरह की पारंपरिक अदालतें बनाना है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगी जिनमें सभी पक्ष अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हों। ये तीन अदालतें होंगी: (i) ग्राम अदालतें, (ii) अधीनस्थ जिला पारंपरिक अदालतें, और (iii) जिला पारंपरिक अदालतें। ग्राम अदालतें कुछ शर्तों के साथ, गांव या जनजाति के कानूनों और रीति-रिवाजों के दायरे में आने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। जो दीवानी और आपराधिक मामले ग्राम अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनकी सुनवाई अधीनस्थ जिला पारंपरिक अदालतें करेंगी। जिला पारंपरिक अदालत, बाकी दो अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाली अथॉरिटी होगी।

भूमि

राज्यों ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के मालिकाना हक को औपचारिक रूप देने के लिए बिल पारित किए

हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के मालिकाना हक को औपचारिक रूप देने के लिए बिल पारित किए।

हरियाणा के बिल के तहत, ग्रामीण इलाकों में रिहायशी प्लॉट के तौर पर इस्तेमाल हो रही जमीन का मालिकाना हक मार्च 2019 से ही कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति के पास माना जाएगा। ड्राफ्ट रिकॉर्ड को सार्वजनिक रूप से दिखाने और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद मालिकाना हक का औपचारिक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के बिल के तहत, हर ग्रामीण प्लॉट के लिए मालिक के नाम और प्लॉट के साइज़ के साथ रिहायशी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक सर्वे किया जाएगा। उत्तराधिकार, सेल डीड, वसीयत या अदालती आदेशों से मालिकाना हक में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड में दर्ज (म्यूटेशन) किया जाएगा।

सिक्किम ने भूमि सर्वेक्षण, भूराजस्व का निर्धारण और उसकी वसूली, जमीन के रिकॉर्ड के रखरखाव और सरकारी व सामुदायिक भूमि के प्रबंधन से जुड़े कानूनों को एकीकृत करने के लिए एक कानून बनाया।

केरल ने अतिरिक्त भूमि के मालिकाना हक को वैध करने के लिए एक बिल पारित किया। अतिरिक्त भूमि का मतलब है, वह जमीन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले, टैक्स भरे गए प्लॉट की निर्विवाद सीमाओं के भीतर आती है। यह वह भूमि होती है जो मूल रूप से प्लॉट आवंटित करते समय उसमें शामिल थी लेकिन जिसके लिए कोई अलग से मालिकाना हक का दस्तावेज़ (टाइटल डीड) मौजूद नहीं है। लोगों को इस अतिरिक्त भूमि के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल) के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, जो तथ्यों के सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा।

ओड़िशा ने भूमि अतिक्रमण निवारण एक्ट, 1972 में संशोधन किया है ताकि एक एकड़ के 25वें हिस्से (1/25 एकड़) से कम आवासीय/घर की जमीन (होमस्टेड लैंड) के मालिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जहां ऐसे लोगों ने आवासीय उपयोग वाली भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, वहां तहसीलदार को कुल मिलाकर अधिकतम एक एकड़ के 25वें हिस्से तक की भूमि उनके नाम पर आवंटित करनी होगी। यह आवंटन वंशानुगत (पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला) होगा लेकिन इसे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

राज्यों ने कृषि भूमि के इस्तेमाल और हस्तांतरण पर लगी पाबंदियों को आसान बनाने के लिए भूमि कानूनों में संशोधन किया

कर्नाटक ने कर्नाटक भूमि सुधार एक्ट, 1961 और कर्नाटक भूमि राजस्व एक्ट, 1964 में संशोधन किया। यह संशोधन राज्य सरकार को कृषि भूमि को जोत की अधिकतम सीमा (लैंड सीलिंग) और कृषि भूमि के हस्तांतरण (बिक्री) पर रोक जैसे प्रतिबंधों से छूट देने की अनुमति देता है। डिप्टी कमिश्नर को आधा हेक्टेयर तक छूट देने का अधिकार है, जिसे इस संशोधन के तहत बढ़ाकर चार हेक्टेयर कर दिया गया है। इससे पहले, कंपनियां ऐसी जमीन को सरकार की मंजूरी के बाद केवल उसी उद्देश्य के लिए बेच सकती थीं। यह संशोधन सात वर्ष बाद जमीन को बेचने या उसके उपयोग में बदलाव (लैंड यूज चेंज) की अनुमति देता है। इसके अलावा, संशोधन के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए दो एकड़ तक की कृषि भूमि और फीस चुकाने पर अक्षय ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने (कन्वर्जन) की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश ने कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों के उपयोग पर फीस वसूलने का अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को सौंपने के लिए दो कानूनों में संशोधन किया। अभी यह फीस राजस्व विभाग वसूलता है। आंध्र प्रदेश ने गैर-ऊंची आवासीय इमारतों के वर्गीकरण की सीमा को 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने के लिए भी एक कानून में संशोधन किया।

छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन किया ताकि कृषि भूमि को 0.05 एकड़ से छोटे भूखंडों में बांटने पर रोक लगाई जा सके। यह संशोधन उस भूमि का भूमि उपयोग बदलने के लिए अलग से अनुमति लेने के नियम से भी छूट देता है जो स्वीकृत विकास योजनाओं, नगर विकास योजनाओं या औद्योगिक नीति के तहत पहले से ही गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए आरक्षित हैं।

पुद्दूचेरी ने नगर और ग्राम नियोजन एक्ट, 1969 में संशोधन किया है। यह संशोधन प्रीमियम भवन घनत्व अधिकार, व्यापार योग्य परमिट (जो डेवलपर्स को किसी प्लॉट पर सामान्य सीमा से अधिक निर्माण करने की अनुमति देते हैं) और लैंड पूलिंग के प्रावधानों को पेश करता है। इसके तहत अब एमएसएमई को भूमि उपयोग बदलने की मंजूरी लिए बिना ही आवासीय, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है।

गोवा ने अनाधिकृत निर्माणों को वैध करने के लिए कई कानूनों में संशोधन किया है। यह संशोधन लोगों को अपने अनाधिकृत निर्माणों को वैध कराने के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें कम्युनिदाद (सामुदायिक) या सरकारी भूमि पर बिना मंजूरी के बनाए गए घर भी शामिल हैं (कम्युनिदाद गोवा की एक बहुत ही अनोखी और पारंपरिक भूमि स्वामित्व प्रणाली है)।

महाराष्ट्र ने अक्टूबर 2024 तक कानून के उल्लंघन में किए गए कृषि भूमि हस्तांतरण (बिक्री) और विभाजन (बंटवारे) को वैध करने के लिए कानून में संशोधन किया है। नगर पालिका क्षेत्रों या क्षेत्रीय योजनाओं के तहत गैर-कृषि उपयोग के लिए चिह्नित क्षेत्रों में ऐसे सभी हस्तांतरण बिना किसी प्रीमियम (अतिरिक्त शुल्क) के भुगतान के वैध माने जाएंगे।

असम ने असम भूमि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण एक्ट, 1956 में संशोधन किया है ताकि चाय बागानों के 'लेबर लाइन' (श्रमिक आवास) क्षेत्रों को विशेष खेती से संबंधित सहायक भूमि की परिभाषा से बाहर किया जा सके। लेबर लाइन ऐसे आवासीय क्वार्टर होते हैं जहां चाय बागान के श्रमिक, बागान की सीमाओं के भीतर रहते हैं। इस संशोधन के अनुसार, ऐसी भूमि अब भूमि जोत की अधिकतम सीमा (लैंड सीलिंग) से मुक्त नहीं होगी और राज्य सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है तथा इन्हें वहां रहने वाले चाय बागान श्रमिकों के नाम पर आवंटित कर सकती है। आवंटित की गई भूमि वंशानुगत (पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली) होगी, लेकिन बीस वर्षों तक इसे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं जा सकेगा। इसके बाद भी कोई भी हस्तांतरण केवल उसी बागान के किसी अन्य चाय बागान श्रमिक के पक्ष में ही किया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश ने भूमि उपयोग पर लगे प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए एक बिल पेश किया। हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार एक्ट, 1972 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत. अगर घर या दुकान बनाने में कोई वाजिब देरी होती है तो तय जुर्माना भरने पर निवेशकों को निर्माण पूरा करने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा। यह कानून गैर-कृषकों (जो किसान नहीं हैं) को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाता है। यह बिल इमारतों के 10 वर्ष तक के अल्पकालिक पट्टों को इस अनिवार्यता से छूट देता है। यह छूट गैर-कृषकों द्वारा भूमि, फ्लैट और तैयार इमारतों (निजी डेवलपर्स द्वारा बनाई गई इमारतों सहित) की बाद की खरीद पर भी लागू होगी। यह केवल किसान सदस्यों वाली सहकारी समितियों को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देता है। इस बिल को समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजा गया है।

उत्तराखंड ने भूमि हस्तांतरण, खरीद और लीज़ से जुड़े कानूनों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, हस्तांतरित भूमि को मंज़ूरी मिले कार्य के लिए इस्तेमाल करने की समय-सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में, राज्य सरकार औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बागवानी, प्रोसेसिंग और पर्यटन जैसी गतिविधियों के लिए तय सीमा से ज़्यादा जमीन हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दे सकती है। बिना मालिकाना हक वाले लोगों के लिए खरीद के नए मंजूर उद्देश्यों में एमएसएमई, किफायती घर और खेल अकादमी शामिल हैं। जो लोग रहने के उद्देश्य से 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद रहे हैं, उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने या उनके परिवार ने राज्य में पहले ऐसी कोई खरीद नहीं की है। इस संशोधन के तहत कृषि भूमि को 30 वर्ष तक के लिए पट्टे पर देने की भी अनुमति है।

जम्मू-कश्मीर ने किराये के मकान और किरायेदारी के संबंधों को रेगुलेट करने वाले कानून को बदला

जम्मू और कश्मीर किरायेदारी एक्ट, 2025 के तहत किराया प्राधिकरण, किराया अदालतें और किराया ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। सभी किराये के समझौते लिखित में होने चाहिए और दो महीने के भीतर किराया प्राधिकरण को इनकी जानकारी दी जानी चाहिए। यह कानून किराया तय करने की प्रक्रिया, मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों, बेदखली और विवाद सुलझाने के बारे में भी नियम बनाता है। यह कानून केंद्रीय मॉडल किरायेदारी एक्ट, 2021 जैसा ही है।

बिहार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कानून में संशोधन करके इसके दायरे में नगरपालिका क्षेत्रों को शामिल किया

बिहार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त एक्ट, 2011 में संशोधन करके भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की प्रक्रिया में नगरपालिका क्षेत्रों को शामिल कर दिया है, जो पहले भूमि सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आते थे। इस संशोधन में नगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग सर्वेक्षण दल बनाने, वार्ड स्तर पर अधिकारों के मसौदा रिकॉर्ड प्रकाशित करने, और दावों व आपत्तियों को दाखिल करने और उनके निपटारे की व्यवस्था की गई है।

गोवा ने भवन निर्माण के परमिट और लाइसेंस हेतु समय-सीमा कम करने के लिए तीन कानूनों में संशोधन किया

गोवा पंचायत राज एक्ट, 1994 में संशोधनों के तहत, कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए आवेदन निपटाने का समय 30 दिन से घटाकर 15 दिन, ट्रेड लाइसेंस के लिए 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए 45 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। पणजी शहर निगम एक्ट, 2002 में संशोधनों से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नोटिस को मंज़ूरी देने या नामंज़ूर करने का समय 60-120 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इसी तरह, गोवा नगर पालिका एक्ट, 1968 में संशोधनों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने और बिल्डिंग में रहने या इस्तेमाल करने की अनुमति देने की समय-सीमा भी कम कर दी गई है।

गोवा ने कुछ मुकदमों के लिए जमीन की कीमत तय करने के तरीके में बदलाव हेतु कानून बनाया

गोवा ने गोवा वाद मूल्यांकन बिल, 2025 (गोवा सूट्स वैल्यूएशन बिल, 2025) पारित किया है। इससे सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार मिलेगा, जिनसे वह खुद तय कर सके कि किसी भूमि की क्या कीमत है, ताकि यह फैसला हो सके कि उस जमीन का मुकदमा किस अदालत में चलेगा। अदालत की फीस, जो मामले की कीमत के प्रतिशत के तौर पर तय होती है, इसी मूल्यांकन पर आधारित होगी। बिल में यह प्रावधान भी है कि अगर कोई मामला ऐसी जमीन से जुड़ा है जिसका मूल्य सरकारी नियमों के तहत तय किया गया है, वहां मांगी गई राहत का क्षेत्राधिकार मूल्य, तय की गई जमीन की कीमत से ज्यादा नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश ने कुछ जमीनों को राजस्व भुगतान से छूट देने के लिए भूमि राजस्व एक्ट, 1954 में संशोधन किया

इस संशोधन के तहत सरकार को जनहित में कुछ जमीनों को भूराजस्व के भुगतान से छूट देने की अनुमति मिलती है। साथ ही, यह भूराजस्व पर एक पर्यावरण उपकर लगाने का प्रावधान भी करता है, जिसका इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए किया जाएगा।

कृषि

कई राज्यों ने पशु स्वामित्व और प्रजनन को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए

बिहार ने सीमेन स्टेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्नीशियन को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाकर पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। इस कानून के तहत सीमेन स्टेशन, आर्टिफिशियल सर्विस प्रोवाइडर, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्नीशियन का पंजीकरण कराना ज़रूरी है।

गुजरात ने ब्रीडिंग सांडों और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (जिसमें सीमेन का उत्पादन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, बिक्री और वितरण शामिल है) के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया। यह कानून राज्य की बोवाइन ब्रीडिंग पॉलिसी को लागू करने, ब्रीडिंग सांडों को सर्टिफ़ाई करने और सीमेन बैंक व स्टेशनों का पंजीकरण करने के लिए एक अथॉरिटी बनाता है।

गोवा ने खतरनाक और हिंसक जानवरों की नस्लों के प्रजनन, आयात और उन्हें पालने पर रोक लगाने वाला कानून बनाया है, क्योंकि इनसे मनुष्यों और दूसरे जानवरों को खतरा हो सकता है। अगर किसी मालिक का जानवर किसी व्यक्ति या दूसरे जानवर को घायल करता है, तो मालिक को मुआवज़ा भी देना होगा।

असम ने भैंसों की लड़ाई जैसे पारंपरिक खेल की अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण एक्ट, 1960 में संशोधन किया।

केरल ने जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से मवेशियों की दौड़ की अनुमति देने वाला एक बिल पारित किया।

राज्यों ने निम्न गुणवत्ता वाले बीजों और कीटनाशकों के वितरण को दंडनीय बनाने हेतु केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया

हरियाणा ने कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए बीज एक्ट, 1966 और कीटनाशक एक्ट, 1968 में संशोधन किया। इन दोनों कानूनों के तहत, निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, आयात या वितरण करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

पंजाब ने भी बीज एक्ट, 1966 में संशोधन करके निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री को संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बना दिया है। इस अपराध के लिए उत्पादकों को दो वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और डीलरों को एक वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

महाराष्ट्र ने अपने कृषि उत्पाद मार्केटिंग कानून में संशोधन किया

इस संशोधन से व्यापारियों और बाज़ार से जुड़े दूसरे लोगों को राज्य की सभी रेगुलेटेड कृषि मंडियों में एक ही लाइसेंस के तहत कृषि उपज खरीदने और बेचने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही, यह राज्य सरकार को ऐसी बड़ी मंडियों को राष्ट्रीय महत्व की मंडियां घोषित करने का अधिकार देता है, जहां कम से कम दो अन्य राज्यों से उपज आती है। इसके अलावा, यह कृषि उपज की गुणवत्ता, वज़न या भुगतान से जुड़े विवादों को 30 दिनों के भीतर सुलझाने के लिए एक व्यवस्था भी बनाता है।

गुजरात में फिशिंग संबंधी कार्यों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने हेतु कानून में संशोधन

इस संशोधन के तहत गुजरात राज्य मत्स्य पालन बंदरगाह और जलीय कृषि विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण मत्स्य पालन बंदरगाहों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार होगा। इसमें जेट्टी, डॉक, रिपेयर यार्ड, ऑक्शन हॉल और मछली बाज़ार शामिल हैं। साथ ही, यह प्राधिकरण पूरे राज्य में जलीय कृषि की गतिविधियों को बढ़ावा देगा और उन्हें रेगुलेट करेगा।

कर्नाटक ने पशु आहार की मैन्यूफैक्चरिंग को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पारित किया

कर्नाटक पशु आहार (मैन्यूफैक्चरिंग का रेगुलेशन और गुणवत्ता नियंत्रण) बिल, 2025 राज्य में पशु आहार की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है। यह उत्पादन के लिए मानक तय करता है और मिलावटी या गलत लेबल वाले पशु आहार के निर्माण या बिक्री पर रोक लगाता है।

हरियाणा ने बागवानी नर्सरियों को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पारित किया

सभी बागवानी नर्सरियों को तय अथॉरिटी के पास पंजीकरण करना होगा और लाइसेंस लेना होगा। फलों के पौधों के विक्रेताओं को सिर्फ़ मंज़ूर की गई किस्में बेचने की अनुमति होगी। सरकार अनजान मूल वाले (पैडिग्री) या कीटों या बीमारियों से संक्रमित पौधों पर रोक लगा सकती है।

स्थानीय शासन

कई राज्यों ने शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए बिल पारित किए

छत्तीसगढ़ ने राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक कानून बनाया। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और इसमें शहरी प्रशासन, आवास और पर्यावरण, तथा लोक निर्माण विभागों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। यह प्राधिकरण क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करेगा, राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के बीच समन्वय करेगा और भूमि उपयोग एवं निर्माण कार्यों को रेगुलेट करेगा।

राजस्थान ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कानून बनाए।

महाराष्ट्र ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले के लिए एक प्राधिकरण बनाया।

मिज़ोरम ने शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए एक कानून बनाया। इसके तहत, खास इलाकों में प्लानिंग कमिटियां बनानी होंगी और विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी।

कर्नाटक ने विकास बोर्ड्स से जुड़े सात कानूनों में संशोधन किए; ये बोर्ड किसी खास इलाके की योजना बनाने, विकास करने, प्रबंधन करने और उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। संशोधन के अनुसार, विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा चुना गया कोई अन्य मंत्री हो सकता है।

मध्य प्रदेश ने महानगरीय क्षेत्र का विकास करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु कानून बनाया है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। इस कानून के तहत एक महानगरीय योजना समिति, एक एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण होगी और इस कानून के तहत गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा।

हरियाणा ने नगर पालिकाओं को रेगुलेट करने वाले दो कानूनों को एकीकृत करने हेतु एक बिल पारित किया

हरियाणा नगर पालिका बिल, 2025 का उद्देश्य हरियाणा नगर पालिका एक्ट, 1973 और हरियाणा नगर निगम एक्ट, 1994 की जगह लेना है। यह बिल सभी नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों पर लागू होगा। किसी नगर पालिका के महापौर (मेयर), अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर बिजली या सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं होना चाहिए और उन्होंने सरकारी या नगरपालिका की संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं किया हो। ऐसे चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है। बिल में यह निर्दिष्ट किया गया है कि संपत्ति कर की दरें राज्य सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम और अधिकतम दरों के दायरे में होनी चाहिए; नगरपालिकाएं संपत्ति के प्रकार के आधार पर इन दरों में बदलाव कर सकती हैं। नगरपालिकाओं को संपत्ति के लेन-देन पर 1-3% का स्थानांतरण शुल्क लगाना होगा, जिसे पंजीकरण के समय वसूला जाएगा।

असम ने स्वायत्त परिषदों से संबंधित विभिन्न कानूनों में संशोधन किए

असम ने विभिन्न स्वायत्त परिषद कानूनों में संशोधन किया है। उसने तीवा स्वायत्त परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 42 कर दी है, जिनमें से 38 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इन 42 सीटों में से 26 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और छह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मटक और मोरान स्वायत्त परिषदों में भी सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा, अगर निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है, तो राज्यपाल सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद की शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं, और एक अंतरिम प्राधिकरण नियुक्त कर सकते हैं।

असम ने आगे सात कानूनों में संशोधन किया ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि राज्य सरकार, सहायता अनुदान को छोड़कर, स्वायत्त परिषदों के किसी भी वित्तीय लेनदेन और देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

असम ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र से बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के लिए एक स्वायत्त परिषद स्थापित करने हेतु कानून पारित किया है। यह कानून मौजूदा कार्बी विकास परिषद और आमरी कार्बी विकास परिषद को डी-नोटिफाई करने का भी प्रावधान करता है।

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित कानूनों में संशोधन किए

हरियाणा ने एक कानून में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया है कि इन कार्यों के लिए ग्राम सभा के कम से कम 40% सदस्य कोरम का हिस्सा हों: (i) सरकारी योजनाओं के तहत चिन्हित लाभार्थियों को मंजूरी देना, और (ii) ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।

हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज एक्ट, 1994 में संशोधन किया है। यह संशोधन ग्राम सभा की बैठकों के सार्वजनिक होने की अनिवार्यता को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त यह ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकारों को बढ़ाते हुए मुकदमों की वित्तीय सीमा को पहले के 2,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करता है। यह चुनावी सुधारों को भी पेश करता है जिसमें चुनावी खर्च का विवरण जमा न करने पर अयोग्यता और कुछ आपराधिक मामलों में 14 दिन या उससे अधिक समय तक हिरासत में रखे गए पदाधिकारियों का निलंबन शामिल है।

मिज़ोरम ने ग्राम परिषदों को रेगुलेट करने वाले 1953 के कानून को बदला

नया कानून राज्य के गैर छठी अनुसूची की सभी ग्राम परिषदों पर लागू होता है। ग्राम परिषदों की सदस्यता जनसंख्या के आकार पर निर्भर होगी और एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन परिषदों को राज्य विकास कोष का एक हिस्सा भी प्राप्त होगा।

असम और तमिलनाडु ने अग्नि और आपातकालीन सेवाएं स्थापित करने के लिए कानून बनाया

असम और तमिलनाडु ने अग्नि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कानून बनाए हैं। ये कानून भवनों के निरीक्षण, एक अग्नि प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और सुरक्षा संबंधी सावधानियां न बरतने पर जुर्माने का प्रावधान करते है। असम का कानून राज्य को अग्नि कर (फायर टैक्स) लगाने का अधिकार भी देता है।

मिज़ोरम ने स्थानीय निकायों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना और नियुक्ति के लिए बिल पारित किया

ओम्बड्समैन राज्य में स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की जांच करेगा। इस पद पर केवल सचिव या उससे उच्च अधिकारी को ही नियुक्त किया जाएगा और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

गोवा और तमिलनाडु ने होर्डिंग्स और डिजिटल बैनर को रेगुलेट करने वाले कानून पारित किए

गोवा ने बाहरी विज्ञापनों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया है। यह एक्ट एक विज्ञापन रेगुलेटरी कमिटी की स्थापना करता है और बाहरी विज्ञापन करने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों और एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है।

तमिलनाडु ने ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स, डिजिटल बैनर और प्लैकार्ड के रेगुलेशन के लिए पंचायत एक्ट, 1994 में संशोधन किया है। डिजिटल बैनर और प्लैकार्ड लगाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

कर्नाटक ने सभी भवनों और खाली जमीनों पर संपत्ति कर लागू करने के लिए कानून में संशोधन किया

यह संशोधन ग्राम पंचायतों को सभी भवनों और खाली पड़ी जमीनों पर संपत्ति कर वसूलने का अधिकार देता है। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं जो उपनियमों का उल्लंघन करके बनी हैं, गैर अनुमोदित लेआउट पर बनी हैं या जिनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं हैं; केवल सरकार, वन या वैधानिक निकाय की भूमि पर अवैध रूप से बनी संपत्तियों को छोड़कर। ऐसी अवैध संपत्तियों के लिए पहले वर्ष में कर दोगुना होगा, जो बाद के वर्षों में सामान्य संपत्ति कर में बदल जाएगा।

महाराष्ट्र ने अपने स्लम विकास कानून में संशोधन किया

यह संशोधन विकास के अधीन भूमि के कब्जाधारियों के लिए पुनर्वास की अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन करता है। यह पुनर्वासित भूमि का स्वामित्व स्लम पुनर्वास प्राधिकरण को सौंपता है।

कर्नाटक ने वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका एक्ट, 2020 में संशोधन किया

यह संशोधन क्षेत्रीय आयुक्त को किसी भी ऐसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करने की अनुमति देता है जिससे जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगर उस सड़क को सार्वजनिक घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो क्षेत्रीय आयुक्त मालिक को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं।

गवर्नेंस

राज्यों ने जन विश्वास एक्ट के अनुरूप गैर अपराधीकरण (डीक्रिमिनलाइजेशन) उपायों को लागू किया

संसद ने 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) एक्ट पारित किया था। यह कानून अपराधों और दंड को गैर आपराधिक बनाने या सुव्यवस्थित करने के लिए 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला एक ऐसा ही बिल 2026 में भी पारित किया गया था। 2025 में असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, सिक्किम और त्रिपुरा ने अपराधों को गैर आपराधिक बनाने या सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसे कानून पारित किए। ये कानून आपराधिक जुर्माने को दीवानी दंड में बदलते हैं, कुछ अपराधों के लिए कारावास को हटाते हैं, अपील और एडजुडिकेशन का प्रावधान करते हैं, और कुछ अपराधों को पूरी तरह से हटाते हैं।

कर्नाटक ने कुछ मामलों में आपराधिक जुर्माने और कारावास को दीवानी दंड में बदलने के लिए कर्नाटक किराया एक्ट, 1999 में संशोधन किया है।

केरल ने आपराधिक जुर्माने को दंड में बदलने और अपराधों के शमन (समझौता करने) की अनुमति देने के लिए कॉयर श्रमिक कल्याण उपकर एक्ट, 2008 और कॉयर श्रमिक कल्याण कोष एक्ट, 1987 में संशोधन किया है।

तमिलनाडु ने दुकान और प्रतिष्ठान एक्ट, 1947 और तमिलनाडु राजमार्ग एक्ट, 2001 सहित छह कानूनों में संशोधन किया है, ताकि कारावास और जुर्माने को दीवानी दंड से बदला जा सके।

गैर अपराधीकरण के मार्गदर्शक सिद्धांत

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2025 पर लोकसभा की प्रवर समिति (चेयर: श्री तेजस्वी सूर्या) ने कानूनों के गैर अपराधीकरण का मार्गदर्शन करने वाले कुछ सिद्धांतों को रेखांकित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) यह सुनिश्चित करना कि जुर्माना और दंड, अपराध की गंभीरता और अपराधी की पृष्ठभूमि के अनुपात में हो, (ii) नियमों के बजाय मूल कानून में ही न्यूनतम और अधिकतम दंड की सीमा निर्दिष्ट करना, (iii) कुछ मामलों में टियर आधारित सिस्टम शुरू करना, जहां पहली और दूसरी बार अपराध होने पर दीवानी दंड लगे और बाद के अपराधों के लिए अधिक कड़े जुर्माने की सजा हो, (iv) छोटे अपराधों के लिए एक सरलीकृत शमन प्रक्रिया तैयार करना, और (v) प्रत्येक कानून के भीतर ही एडजुडिकेशन और अपीलीय प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से विस्तारपूर्वक वर्णन करना।

केरल ने मलयालम को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कानून बनाया

यह कानून मलयालम को केरल की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करता है, यानी राज्य के सभी प्रशासनिक, न्यायिक और वाणिज्यिक कार्य मलयालम भाषा में होंगे। यह कक्षा 10 तक के स्कूलों में मलयालम को एक अनिवार्य प्रथम भाषा भी बनाता है और आधिकारिक व डिजिटल कम्युनिकेशन में इसके उपयोग को आवश्यक करता है।

केरल ने सोसायटियों के पंजीकरण को रेगुलेट करने वाले दो कानूनों को बदला

नया कानून पूरे राज्य में समान रूप से लागू होता है जो त्रावणकोर-कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1955 (जिसके दायरे में त्रावणकोर-कोचीन क्षेत्र आते थे) और सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1860 (जो मालाबार क्षेत्र पर लागू होता था) का स्थान लेता है। यह पंजीकरण योग्य सोसायटियों की श्रेणियों का विस्तार करता है जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों की पुरानी श्रेणियों के साथ-साथ खेल निकायों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी सोसायटियों को भी शामिल किया गया है। लगातार पांच वर्षों तक वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने वाली सोसायटियों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

प्रशासन और कार्मिक

केरल और उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को रेगुलेट करने वाले बिल पारित किए

केरल और उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के प्रबंधन और संरक्षण को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए हैं, जिनमें मैनुस्क्रिप्ट्स, माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड शामिल हैं। दोनों कानून प्रत्येक सरकारी विभाग में रिकॉर्ड अधिकारियों के साथ-साथ एक डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। रिकॉर्ड अधिकारी अपने विभागों के भीतर सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं ले जाया जा सकता और न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। उल्लंघन करने पर केरल और उत्तर प्रदेश, दोनों में पांच वर्ष का कारावास हो सकता है या जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। केरल में जुर्माने की राशि 25,000 रुपए है, और उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए तक।

केरल ने सार्वजनिक सेवाओं के अधिकारों से संबंधित बिल पारित किया

केरल लोक सेवा अधिकार बिल, 2025 हर व्यक्ति को अधिसूचित सरकारी सेवाओं को तय समय के अंदर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। हर विभाग के प्रमुख के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपनी सेवाओं और उन्हें देने की समय-सीमा के बारे में जानकारी दें। वे गांव, तालुक, जिले वगैरह जैसे अलग-अलग स्तरों पर सेवाएं देने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त करेंगे। शिकायत करने वाले व्यक्ति तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली के ज़रिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सरकारी सेवाओं के वितरण की निगरानी करने और समय पर सेवाएं न मिल पाने की समस्याओं को हल करने के लिए केरल राज्य सेवा अधिकार आयोग बनाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया

अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले परीक्षार्थियों को पांच वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा संचालित करने के लिए जिम्मेदार किसी भी एजेंसी या व्यक्ति सहित सेवा प्रदाताओं पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें चार वर्ष तक परीक्षा का संचालन करने से दूर रखा जा सकता है। सेवा प्रदाता फर्म के प्रबंधकों को 10 वर्ष तक का कारावास और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

असम ने नगर पालिका बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन लाने के लिए एक कानून पारित किया

असम नगर पालिका कर्मचारी (प्रांतीयकरण) बिल, 2025 का उद्देश्य असम नगर पालिका बोर्ड के उन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है, जिनकी भर्ती 4 सितंबर, 2013 को या उससे पहले हुई थी। राज्य सरकार उनके वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों की ज़िम्मेदारी उठाएगी, जो उसी पद के सरकारी कर्मचारियों के बराबर होंगे।

उत्तर प्रदेश ने प्रॉविडेंट फंड सबस्क्राइबर्स के लिए पेंशन पात्रता को स्पष्ट किया

उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश पेंशन का अधिकार और सत्यापन एक्ट, 2025 पारित किया। यह कानून 'सब्सटेंटिव अपॉइंटी' (स्थायी नियुक्ति वाले व्यक्ति) को ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित करता है जिसे राज्य सरकार के किसी स्थायी संस्थान में तय नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया गया हो। यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो: (i) सब्सटेंटिव कर्मचारी नहीं है, और (ii) प्रोविडेंट फंड में योगदान देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है।

राज्यों ने मंदिर ट्रस्ट्स को स्थापित करने के कानून पारित किए

उत्तर प्रदेश ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए एक कानून बनाया। ट्रस्टी बोर्ड की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

बिहार ने पुनौराधाम मंदिर के विकास और प्रबंधन के लिए बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट (संशोधन) एक्ट, 2013 में संशोधन किया।

कर्नाटक ने चंद्रगुट्टी श्री रेणुकाम्बा मंदिर के विकास और रखरखाव के लिए एक अथॉरिटी बनाई, जिसके अध्यक्ष हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के प्रभारी मंत्री होंगे।

महाराष्ट्र ने पब्लिक ट्रस्ट कानून में संशोधन किया

महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 में संशोधन किया है। यह कानून राज्य से मदद पाने वाले उन पब्लिक ट्रस्ट्स को रेगुलेट करता है जो खास तौर पर मेडिकल कार्यों के लिए चलाए जाते हैं और अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम वगैरह चलाते हैं। इस संशोधन से राज्य से मदद पाने वाले पब्लिक ट्रस्ट्स का दायरा बढ़ गया है। अब इसमें वे ट्रस्ट भी शामिल होंगे जिन्हें पब्लिक ट्रस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फंड में सालाना योगदान देने से छूट मिली है, और जिन्हें बिजली-पानी के बिल या नगर पालिका/स्थानीय निकाय कर के भुगतान में मौद्रिक रियायतें मिली हैं।

तमिलनाडु ने अतिरिक्त खर्च करने के लिए ट्रस्टी के अधिकार का विस्तार करने हेतु बिल पारित किया

तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती एक्ट, 1959 में किए गए संशोधन ट्रस्टी को ट्रस्ट के पैसे को खर्च करने का अधिकार देते हैं, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है: (i) अर्चक, इसाई कलैगनार, ओथुवार, अध्यापक और वेदपरायणिक के लिए प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करना, (ii) धार्मिक संस्थानों की अचल संपत्तियों का विकास और संरक्षण करना, (iii) धार्मिक संस्थानों के भक्तों के लिए इमारतें और शिक्षण संस्थान बनाना।

शिक्षा

13 राज्यों ने विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले बिल पारित किए

असम और बिहार ने दक्षता आधारित शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जबकि पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड ने खेल शिक्षा पर केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून पारित किए। कर्नाटक ने कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक बिल पारित किया, और मिज़ोरम ने मौजूदा कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को मिलाकर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए बिल पारित किया। उत्तर प्रदेश ने निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय एक्ट, 2019 में पांच संशोधन किए।

गोवा ने राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए गोवा सार्वजनिक विश्वविद्यालय बिल, 2025 पेश किया। बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना के ज़रिए सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में उन कॉलेजों का क्लस्टर शामिल होगा जिन पर ऐसे कॉलेजों के प्रबंधन की सहमति होगी। राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे और गवर्निंग बॉडी के प्रमुख होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुख्य एग्जीक्यूटिव निकाय होगी और इसके प्रमुख वाइस-चांसलर होंगे। वाइस-चांसलर की नियुक्ति चांसलर द्वारा राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके की जाएगी। बिल को एक प्रवर समिति के पास भेजा गया है।

केरल और सिक्किम ने निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक समान व्यवस्था वाला कानून बनाया। केरल के कानून में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए 40% आरक्षण अनिवार्य है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फीस में छूट का प्रावधान है। असम निजी विश्वविद्यालयों में राज्य के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित करता है।

अनेक राज्यों ने निजी कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए बिल पारित किए

असम, झारखंड और राजस्थान ने ऐसे बिल पारित किए हैं जिनके तहत सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को जिला-स्तर की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकरण कराना ज़रूरी है। कोचिंग सेंटरों को गुमराह करने वाले विज्ञापन छापने या गलत जानकारी देने से मना किया गया है। इन बिलों में पंजीकरण के लिए न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर की शर्तें बताई गई हैं, जैसे हर विद्यार्थी के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह, आग और भवन से जुड़ी सुरक्षा के सर्टिफिकेट, अलग-अलग टॉयलेट, पीने का पानी, फर्स्ट-एड की सुविधा और शिकायत बॉक्स। इसके अलावा, असम और राजस्थान में क्लास का समय रोज़ाना अधिकतम पांच घंटे तक सीमित किया गया है और स्कूल के समय के दौरान कोचिंग पर रोक लगाई गई है।

राज्यों ने शिक्षण संस्थानों में फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए

दिल्ली ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पारित किया। इस एक्ट में फीस बढ़ाने पर विचार किए जाने वाले कारकों की सूची दी गई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या, और प्राप्त सरकारी सहायता। यह एक्ट फीस से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए स्कूल-स्तर पर फीस रेगुलेशन कमिटियां, एक रिविजन कमिटी और डिस्ट्रिक्ट फीस अपीलीय कमिटियां बनाता है।

असम ने एक बिल पारित किया जिसके तहत ग्रामीण पंचायत इलाकों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देने वाले निजी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश शुल्क पर 25% की छूट देनी होगी।

झारखंड ने पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रम की फीस को रेगुलेट करने के लिए एक कमिटी बनाने वाला बिल पारित किया, जिसमें संस्थान की लोकेशन, पाठ्यक्रम का प्रकार और उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाएगा।

असम ने वाइस-चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के लिए कई विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन किया

पहले, वाइस-चांसलर की नियुक्ति एक एडवाइज़री बोर्ड के सुझाव पर चांसलर करते थे। संशोधनों के अनुसार, पहले वाइस-चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इसके बाद की नियुक्तियां तीन सदस्यों वाले एडवाइज़री बोर्ड के सुझाव पर चांसलर करेंगे। चांसलर, एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल और राज्य सरकार, प्रत्येक द्वारा एक एक सदस्य को नामित किया जाएगा। चांसलर एडवाइज़री बोर्ड के एक सदस्य को चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त करेंगे।

सिक्किम ने मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए बिल पारित किया

सिक्किम ने सरकारी सहायता प्राप्त मॉडल स्कूल बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। गंगटोक में एक स्कूल बनाया जाएगा। इस बिल के तहत सिक्किम मॉडल स्कूल बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और यह बोर्ड गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करेगा। स्कूलों के रोज़मर्रा के कामकाज को डायरेक्टर-कम-प्रिंसिपल की अगुवाई वाली एक एग्जीक्यूटिव कमिटी संभालेगी।

आंध्र प्रदेश ने स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण को रेगुलेट करने वाला बिल पारित किया

इस कानून के तहत, नियुक्ति और पदोन्नति पर विचार करते समय नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में खाली पद भरने होते हैं। निर्दिष्ट शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बनाए रखने के लिए समय-समय पर अलग-अलग राज्यों में शिक्षकों का दोबारा पुनर्वितरण भी किया जा सकता है।

असम ने विश्वविद्यालयों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों में संशोधन किए

असम ने राज्य या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए श्रीमत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक्ट, 2007 में संशोधन किया। साथ ही, विश्वविद्यालयों के भीतर धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दो विश्वविद्यालय कानूनों में भी संशोधन किया गया।

वित्त एवं कराधान

राज्यों ने राजकोषीय नियमों में संशोधन के लिए बिल पारित किए

केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए जीएसडीपी का 0.5% तक उधार लेने की छूट दी थी, जिसके बाद मेघालय, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट में संशोधन किए। मेघालय ने एक्ट में संशोधन करके राजकोषीय घाटे की सीमा को 2023-24 में जीएसडीपी के 4% से घटाकर 2024-25 में 3.5% कर दिया। उत्तर प्रदेश ने बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन के आधार पर जीएसडीपी के 0.5% के अतिरिक्त उधार की सुविधा देने के लिए इसमें संशोधन किया। पश्चिम बंगाल ने अपने कानून में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया कि: (i) 2029-2030 तक जीएसडीपी का अधिकतम 38% तक का ऋण बनाए रखा जाए, (ii) 2029-30 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से ज़्यादा न हो, और (iii) 2024-25 में अधिकतम राजकोषीय घाटा 3.5% ही हो।

मेघालय ने सरकारी गारंटी की सीमा तय करने वाला एक बिल भी पारित किया। ये सीमाएं इस प्रकार हैं: (i) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुल बकाया सरकारी गारंटी के लिए जीएसडीपी का 10%, और (ii) वित्तीय वर्ष में जारी नई गारंटी के लिए राजस्व प्राप्तियों का 5% या जीएसडीपी का 0.5% - इनमें से जो भी कम हो।

छत्तीसगढ़ ने नए फंड्स बनाने के लिए बिल पारित किए

छत्तीसगढ़ ने दो फंड बनाने के लिए बिल पारित किए: एक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता फंड, और पब्लिक अकाउंट के तहत एक पेंशन फंड। आर्थिक फंड के लिए पिछले वर्ष खनिज स्रोतों से प्राप्त राजस्व आय का 1%-5% हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य राजस्व में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना और आर्थिक मंदी के समय मदद देना है। अगर किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतान 20% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस सीमा से ज़्यादा भुगतान पेंशन फंड से किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर, पिछले वर्ष फंड के निवेश से हुई कमाई का 10% हिस्सा पेंशन भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ ने अपने आकस्मिक फंड की राशि भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दी। मेघालय ने 7 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक इस राशि को अस्थायी रूप से 505 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,005 करोड़ रुपए करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

राज्यों ने अपने संबंधित वस्तु एवं सेवा कर एक्ट में संशोधन किए

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने फाइनांस एक्ट, 2025 के ज़रिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 में किए गए संशोधनों के अनुसार अपने जीएसटी कानूनों में संशोधन किया। चूंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था, इसलिए संसद ने उस राज्य के लिए भी ऐसे ही कानून पारित किए। ये संशोधन जीएसटी परिषद के सुझावों पर आधारित थे।[8]

प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) निर्दिष्ट वस्तुओं की ट्रैकिंग के लिए एक ऐसा यूनीक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना जिसे हटाया न जा सके, (ii) प्लांट और मशीनरी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति (पहले इनमें से किसी एक पर ही यह सुविधा थी), (iii) टैक्स का भुगतान न करने, कम भुगतान करने, गलत रिफंड या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के मामलों में टैक्स की बकाया रकम तय करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली, और (iv) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का दायरा बढ़ाना, ताकि वे अंतर-राज्यीय सप्लाई और रिवर्स चार्ज ट्रांज़ैक्शन में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित कर सकें।

राज्यों ने मोटर वाहनों से संबंधित कराधान कानूनों में संशोधन किया

महाराष्ट्र ने इन वाहनों के पंजीकरण पर एक बार लगने वाला टैक्स (7%) लागू किया: (i) निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मोटर वाहन जैसे क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर या एक्सकेवेटर, और (ii) 7,500 किलोग्राम से कम वज़न का सामान या मैटीरियल ढोने वाले हल्के माल-वाहक वाहन।

उत्तर प्रदेश ने 7,500 किलोग्राम से कम वज़न वाले और किराए या मुनाफ़े के लिए इस्तेमाल होने वाले परिवहन वाहनों पर एक बार टैक्स देने की व्यवस्था लागू की। सार्वजनिक सेवा वाहनों, 7,500 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाले वाहनों, खेती के अलावा दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर वाहनों पर तिमाही या सालाना टैक्स प्रणाली लागू होगी।

मध्य प्रदेश ने इस एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ाने के लिए अपने टैक्स कानूनों में बदलाव किया। छत्तीसगढ़ ने गैर-परिवहन (1%) और परिवहन (0.5%) वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर टैक्स लागू किया। आंध्र प्रदेश ने सामान ढोने वाले परिवहन वाहनों पर बदले हुए टैक्स लागू किए: (i) अगर वाहन की उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच है तो 1,500 रुपए सालाना, (ii) अगर उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा है तो 3,000 रुपए सालाना।

राज्यों ने अपने संबंधित स्टाम्प एक्ट्स में संशोधन किए

नौ राज्यों ने भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 में संशोधन किया, जिसके तहत बॉन्ड, डिबेंचर और मॉर्गेज डीड जैसे कानूनी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाना ज़रूरी है।

असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने ई-स्टाम्प को मान्यता देने के लिए बिल पारित किए।

कई राज्यों ने कुछ खास लेन-देन के लिए दरों में बदलाव किया। महाराष्ट्र ने पूरक दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। गोवा ने मॉर्गेज स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 1,000 रुपए करने के लिए एक्ट में संशोधन किया; पहले यह संपत्ति की कीमत से जुड़ी हुई थी।

राज्यों ने कुछ खास लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी भी लागू की। हिमाचल प्रदेश ने सरकारी मंज़ूरी वाले संपत्ति हस्तांतरण पर 12% स्टाम्प ड्यूटी तय की। छत्तीसगढ़ ने बैंक गारंटी पर 0.25% की तय सीमा वाली स्टाम्प ड्यूटी लगाई।

कर्नाटक ने अत्यधिक ब्याज दरों को रोकने के लिए कुछ बिल पारित किए

कर्नाटक ने ऋण देने वाली अलग-अलग संस्थाओं के लिए सख़्त नियम लागू करने के उद्देश्य से चार बिल पारित किए। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सूक्ष्म ऋण एवं लघु ऋण (ज़बरन कार्रवाई की रोकथाम) बिल, 2025 के तहत हर सूक्ष्म ऋण संस्था या ऋण देने वाली संस्था के लिए जिला पंजीकरण प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना ज़रूरी है।

यह बिल ऋण की कीमत तय करने के लिए दिशानिर्देश देता है। इसमें यह भी ज़रूरी है कि ऋणदाता संस्थाएं उधारकर्ताओं को लोन कार्ड दें, जिसमें ब्याज दर और शर्तों के साथ-साथ दूसरी ज़रूरी जानकारी भी दी गई हो।

तमिलनाडु ने भी जून 2025 में ऐसा ही एक बिल पारित किया था।

केरल ने एकल आवास की सुरक्षा के लिए बिल पारित किया

केरल एकल आवास संरक्षण बिल, 2025 का उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षा देना है जो सुरक्षित ऋण न चुका पाने के कारण अपनी एकमात्र रिहायशी संपत्ति खो देते हैं। यह बिल राज्य सरकार को ऐसे ऋण का पूरा या आंशिक भुगतान करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं: (i) ऋण की रकम पांच लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, (ii) ब्याज और दूसरे खर्चों को मिलाकर कुल भुगतान की रकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और (iii) कर्जदार और उसके परिवार की कुल सालाना आय तीन लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

नागालैंड ने राज्य वित्त आयोग की स्थापना के लिए बिल पारित किया

नागालैंड राज्य वित्त आयोग एक्ट, 2025 सभी स्थानीय निकायों के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। नागालैंड ने शहरी स्थानीय निकायों के मद्देनजर नागालैंड नगरपालिका एक्ट, 2023 के तहत 2024 में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया था।

उद्योग एवं वाणिज्य

राज्यों ने व्यापार सुगमता के लिए कानून पारित किए

झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष रियायत) एक्ट, 2025 का उद्देश्य स्वीकृतियों और निरीक्षणों से संबंधित रियायतें देकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना को आसान बनाना है। राज्य स्तर पर 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी' नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। कोई भी उद्यम शुरू करने के लिए, एमएसएमई को कमिटी की वेबसाइट पर आशय पत्र जमा करना होगा। उद्यम को तीन वर्ष के लिए मान्य एक पावती प्रमाणपत्र प्राप्त होगा; इस दौरान निरीक्षण नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें जान-माल की सुरक्षा को खतरा हो।

पुद्दूचेरी व्यापार सुगमता (सेवा वितरण) एक्ट, 2025 के तहत केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक, सेवा या व्यापार उद्यम शुरू करने या बढ़ाने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी देने की व्यवस्था की गई है। तय अथॉरिटी को आवेदन करने पर कार्रवाई करनी होगी और आवेदक फ़ाइनल ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। यह एक्ट हर मंज़ूरी देने के लिए दो से 71 दिनों की समय-सीमा तय करता है। तय समय में सेवा न देने पर हर दिन 250 रुपए का जुर्माना लग सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपए तक हो सकता है।

केरल ने केरल औद्योगिक सिंगल विंडो क्लीयरेंस बोर्ड्स और औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र विकास एक्ट, 1999 में संशोधन किया है। यह कानून नए उद्योग शुरू करने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी तेज़ी से दिलाने और औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र विकास अथॉरिटीज़ के गठन का प्रावधान करता है। इस संशोधन के तहत केरल राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यह बोर्ड औद्योगिक नीति से जुड़े फ़ैसले लेगा। साथ ही, यह कानून बोर्ड के फ़ैसलों को लागू करने के लिए केरल राज्य निवेश प्रोत्साहन निगरानी कमिटी का भी गठन करता है।

महाराष्ट्र ने बकाया निपटान के लिए कानून बनाया

महाराष्ट्र कर, ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क बकाया निपटान (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कंपनियों द्वारा देय) एक्ट, 2025, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों, निगमों, विभागों आदि को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बकाया राशि का निपटान करने की सुविधा देता है। 1 अप्रैल 2005 और 30 जून 2017 के बीच के विवादित टैक्स बकाये का निपटान 50% पर किया जा सकता है, जबकि ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। 2005 से पहले के विवादित टैक्स बकाये का निपटान 30% पर किया जा सकता है। गैर विवादित टैक्स बकाये पर छूट नहीं मिलेगी। अदालत में लंबित अपीलों को वापस लेना होगा, और निपटान के लिए भुगतान की समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी।

बिहार ने लकड़ी आधारित उद्योगों को रेगुलेट करने के लिए कानून पारित किया

बिहार ने लकड़ी को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को रेगुलेट करने के लिए बिहार लकड़ी आधारित उद्योग (इस्टैब्लिशमेंट और रेगुलेशन) बिल, 2025 पारित किया है। राज्य-स्तर की एक कमिटी राज्य में लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करेगी। इस आकलन के आधार पर, राज्य सरकार यह तय करेगी कि राज्य में कितने और किस तरह के लकड़ी-आधारित उद्योग चल सकते हैं, और उनमें किस तरह की या कितनी मशीनरी का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे उद्योगों को सबसे पास के जंगल की सीमा से कम से कम 10 किलोमीटर दूर या तय अथॉरिटी द्वारा बताए गए दायरे से बाहर (जो भी कम हो) चलना चाहिए। इस कानून का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

पंजार ने क्रशर यूनिट्स के पंजीकरण को अनिवार्य किया

पंजाब क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट्स और रिटेलर्स रेगुलेशन एक्ट, 2025 उन क्रशर यूनिट्स को रेगुलेट करता है जो छोटे खनिजों की प्रोसेसिंग करती हैं, और उन स्टॉकिस्ट्स और रिटेलर्स को भी, जो इनकी खरीद-बिक्री में शामिल हैं। हर क्रशर यूनिट को खान और भूविज्ञान विभाग के पास पंजीकरण कराना ज़रूरी है। गैर-कानूनी खनन, रिटर्न फाइल न करने या बकाया राशि का भुगतान न करने जैसी गतिविधियों के कारण पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और तीन वर्ष तक दोबारा पंजीकरण पर रोक लग सकती है। हर स्टॉकिस्ट और रिटेलर को काम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी है। क्रशर यूनिट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुल्क देना होगा। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रदूषण न फैलाने वाली यूनिट्स के तौर पर सर्टिफाइड यूनिट्स को इससे छूट दी गई है।

हरियाणा ने ट्रैवेल एजेंट्स के पंजीकरण को अनिवार्य किया

हरियाणा ने एक कानून बनाया है जिसके तहत सभी ट्रैवल एजेंटों को राज्य में पंजीकरण कराना ज़रूरी है। "ट्रैवल एजेंट" शब्द में वे फ़र्म और व्यक्ति शामिल हैं जो पासपोर्ट या वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, साथ ही वे भी जो पर्यटन, शिक्षा या धार्मिक उद्देश्यों के लिए वीज़ा कंसल्टेंसी देते हैं। बिना पंजीकरण वाले एजेंटों को सात वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

पश्चिम बंगाल ने प्रोत्साहन योजना को रद्द करने के लिए बिल पारित किया

बिल उन सभी योजनाओं और अनुदानों को पूर्व व्यापी प्रभाव से रद्द करता है जिन्हें 1993 से उद्योगों के लिए प्रदान किया जा रहा था। औद्योगिक इकाइयां अब रद्द योजनाओं के तहत किसी भी पिछले या भविष्य के दावे की हकदार नहीं हैं।

श्रम एवं रोजगार

कई राज्यों ने दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम के घंटों को रेगुलेट करने के लिए कानूनों में संशोधन किए

हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और ओड़िशा समेत 13 राज्यों ने अपने दुकान और प्रतिष्ठान एक्ट्स में संशोधन किया है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करते हैं। मुख्य संशोधनों में महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति देना और ओवरटाइम के घंटों की तिमाही सीमा बढ़ाना शामिल है।

बिहार, गोवा और जम्मू-कश्मीर ने नए दुकान और प्रतिष्ठान एक्ट पारित किए हैं। बिहार के कानूनी प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाली हर दुकान को 'लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर' के लिए पंजीकरण करना होगा, (ii) महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति और पर्याप्त कामकाजी स्थिति होने पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति होगी, (iii) काम के घंटों की साप्ताहिक सीमा 48 घंटे होगी, और (iv) एक हफ़्ते में 48 घंटे से ज़्यादा के काम को ओवरटाइम माना जाएगा, जिसकी तिमाही सीमा 144 घंटे होगी।

कई राज्यों ने काम के स्वीकृत घंटों को बढ़ाने के लिए कारखानों से संबंधित कानूनों में संशोधन किए

गोवा, राजस्थान और त्रिपुरा समेत नौ राज्यों ने कारखाना एक्ट, 1948 में संशोधन किया है। यह कानून मज़दूरों को एक दिन में अधिकतम नौ घंटे और एक हफ़्ते में 48 घंटे काम करने की अनुमति देता है। इनमें से ज़्यादातर

राज्यों में रोज़ाना काम के घंटों की सीमा बढ़ाई गई है, जबकि हफ़्ते में 48 घंटे काम करने की सीमा वैसी ही बनी हुई है। आंध्र प्रदेश और गोवा ने मज़दूरों को एक दिन में अधिकतम 10 घंटे काम करने की अनुमति देने वाले बिल पारित किए, जबकि बिहार, गुजरात और त्रिपुरा के संशोधनों में एक दिन में अधिकतम 12 घंटे काम करने की अनुमति दी गई है। झारखंड ने अपने कानून में संशोधन करके महिला मज़दूरों को उनकी सहमति और सुरक्षा की उचित व्यवस्था होने पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी है।

कई राज्यों ने गिग वर्क को रेगुलेट करने के लिए कानून पारित किए

बिहार, झारखंड और कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को रेगुलेट वाले बिल पारित किए। इन कानूनों में गिग वर्कर्स के अनिवार्य पंजीकरण और योजनाओं के निरीक्षण के लिए बोर्ड बनाने से संबंधित प्रावधान है। इसके लिए एक वेलफेयर फंड बनाने की ज़रूरत है, जिसे एग्रीगेटर्स, गिग वर्कर्स और केंद्र व राज्य सरकारें वित्त पोषित करेंगी। ये वेलफेयर फंड गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ का खर्च उठाएंगे। राजस्थान ने 2023 में ऐसा ही एक कानून पारित किया था।

पंजाब और कर्नाटक ने अपने श्रम कल्याण कोष कानूनों में संशोधन किए

पंजाब ने पंजाब श्रम कल्याण कोष एक्ट, 1965 में संशोधन किया है। इस संशोधन से 'कर्मचारी' की परिभाषा का दायरा बढ़ गया है, जिसमें सीधे या ठेकेदारों के ज़रिए काम पर रखे गए लोग भी शामिल हो गए हैं। इससे बकाया वेतन और अन्य देय राशि का दावा करने की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। मूल कानून के तहत, नियोक्ताओं को बकाया राशि के लिए कर्मचारियों से दावे मंगाने हेतु सार्वजनिक सूचनाएं जारी करनी पड़ती थीं। संशोधन इस प्रक्रिया को हटाता है और नियोक्ताओं को कर्मचारी को किए गए अंतिम भुगतान के एक वर्ष के भीतर बोर्ड के पास बकाया राशि जमा करने की अनुमति देता है। कर्मचारी दो वर्ष के भीतर बोर्ड से ऐसी बकाया राशि का दावा कर सकते हैं। कोष में नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान को क्रमशः पांच और 20 रुपए से बढ़ाकर 10 और 40 रुपए कर दिया गया है।

कर्नाटक ने कर्नाटक श्रम कल्याण कोष एक्ट, 1965 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत, अब यह कानून उन सोसायटियों और ट्रस्ट्स पर भी लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं; पहले यह सीमा 50 लोगों की थी। साथ ही, बोर्ड को योगदान देने की प्रक्रिया में ई-बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है।

दो राज्यों ने निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को रेगुलेट करने के लिए कानून पारित किए

महाराष्ट्र निजी प्लेसमेंट एजेंसीज़ (रेगुलेशन) एक्ट, 2025 के तहत निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को प्लेसमेंट का काम करने के लिए पंजीकरण कराना ज़रूरी है। एजेंसियों को निम्नलिखित ज़िम्मेदारियां पूरी करनी होंगी: (i) प्लेसमेंट के 60 दिनों के अंदर पंजीकरण अधिकारियों को प्लेसमेंट की सभी जानकारी (महाराष्ट्र के अंदर या बाहर) देना, (ii) प्लेसमेंट से पहले नौकरी के लिए न्यूनतम आयु की शर्त पूरी करना, (iii) नौकरी के इच्छुकों के प्लेसमेंट का रजिस्टर रखना जिसमें नाम, पता और काम का प्रकार शामिल हो, और (iv) नौकरी के इच्छुकों के बारे में कोई भी जानकारी नियोक्ता या सरकार के अलावा किसी तीसरे पक्ष को न देना। यह एक्ट शिक्षण संस्थानों की प्लेसमेंट गतिविधियों पर लागू नहीं होता है। मिज़ोरम ने भी इसी तरह के प्रावधानों वाला एक बिल पारित किया है।

गोवा ने रिक्तियों की अधिसूचना से संबंधित कानून में संशोधन किया

राज्य ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (खाली पदों की अनिवार्य सूचना) एक्ट, 1959 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत नियोक्ताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे अगले छह महीनों में सृजित होने वाले संभावित रोजगारों की जानकारी और अधिसूचित रिक्तियों के मद्देनजर भर्ती किए गए कर्मचारियों के विवरण सहित अन्य सूचनाएं स्थानीय रोजगार कार्यालयों को दें।

कल्याण

राज्यों ने वंचित समूहों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए कानून पारित किए

छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) एक्ट, 1993 में संशोधन किया है ताकि उन जिलों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जा सके जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से कम है। यह

आरक्षण जिले में उनकी आबादी के अनुपात में होगा, लेकिन कुल सीटों का आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता।

तेलंगाना ने शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% सीटें आरक्षित करने वाला एक बिल पारित किया। इसमें अनुसूचित जाति (15%) और अनुसूचित जनजाति (10%) के लिए भी आरक्षण तय किया गया।

उत्तराखंड ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, 2016 में संशोधन किया है। इसके तहत, शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का फ़ैसला राज्य सरकार एक खास आयोग के सुझावों के आधार पर करेगी। पहले, सीटें उस इलाके में पिछड़े वर्गों की आबादी से जुड़ी होती थीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अभी भी उनकी आबादी से जुड़ा हुआ है। इस संशोधन में कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है और यह प्रावधान किया गया है कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण इस सीमा से ज़्यादा हो जाता है, तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

कर्नाटक ने कई क्षेत्रों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए तीन कानूनों में संशोधन किया। उसने निर्माण कार्यों के लिए होने वाली खरीद में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया, नोटरी की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया, और कर्नाटक राज्य आयोग में अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीं।

तमिलनाडु ने कस्बों और गांवों की स्थानीय शासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अपने शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन किया।

राज्यों ने वेल्फेयर कमीशन बनाने के लिए कानून पारित किए

असम ने सत्रों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और रखरखाव के लिए एक आयोग बनाने का बिल पारित किया। महाराष्ट्र ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग राज्य आयोग बनाने से संबंधित बिल पारित किए।

केरल ने बुजुर्गों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक वृद्धजन आयोग की स्थापना की है, और मिज़ोरम ने युवाओं के कल्याण और उत्थान के लिए एक राज्य आयोग का गठन किया है।

कर्नाटक ने सामाजिक बहिष्कार को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाया

कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2025 किसी समुदाय की जाति पंचायत के आदेश पर उस समुदाय के सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार को प्रतिबंधित करता है। बहिष्कार में ऐसे लोगों को काम या व्यावसायिक अवसरों से मना करना, या उन्हें शादी करने की अनुमति न देना या उनसे सामाजिक संबंध तोड़ना शामिल हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार के लिए तीन वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सामाजिक बहिष्कार लागू करने के लिए सभा का आयोजन करना एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

राज्यों ने अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत करने के लिए बिल पारित किए

राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के भीतर मौजूदा आरक्षण को वितरित करने के लिए अनुसूचित जातियों को श्रेणियों में उप वर्गीकृत करने हेतु कानून बनाए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों ने 59 अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों में उप वर्गीकृत करने के लिए कानून बनाए हैं, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में उनके बीच 15% आरक्षण को विभाजित किया गया है। कर्नाटक ने भी इसी तरह का एक बिल पारित किया है, जिसमें 101 अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों में उप वर्गीकृत किया गया है और उनके बीच 17% आरक्षण वितरित किया गया है।

कर्नाटक ने देवदासियों से संबंधित कानून को बदला

यह कानून किसी भी देवता, मूर्ति या पूजा की वस्तु की सेवा के लिए समर्पित सभी महिलाओं को 'देवदासी' मानता है। यह कानून किसी महिला को देवदासी के रूप में समर्पित करने पर रोक लगाता है, चाहे यह कानून लागू होने से पहले हुआ हो या बाद में, और चाहे महिला की सहमति हो या न हो। देवदासी महिला की संतान को पिता की

पहचान, भरण-पोषण और संपत्ति का दावा करने का अधिकार होगा। देवदासी महिलाएं सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य जांच की हकदार होंगी।

कर्नाटक ने परंपरागत प्रवासी चरवाहों के कल्याण के लिए कानून को लागू किया

यह कानून घूमंतू चरवाहों के पंजीकरण और समुदाय के सदस्यों को पहचान-पत्र जारी करने की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार किफायती आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी बनाएगी। इसके अलावा, यह कानून समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराधों को भी स्पष्ट करता है, जैसे: (i) सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करने के अधिकार से रोकना, (ii) आवागमन के अधिकार से वंचित करना, (iii) किसी घूमंतू चरवाहे का अपमान करना या उसे अपशब्द कहना, और (iv) शारीरिक नुकसान पहुंचाना या मौत का कारण बनना।

छत्तीसगढ़ और उत्तरखंड ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन से संबंधित बिल पारित किए

छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने आंतरिक सुरक्षा रखरखाव एक्ट 1971 या भारत रक्षा नियम 1971 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए बिल पारित किए हैं। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान एक्ट, 2025 के तहत, विधवाएं मृत सेनानियों की आधी पेंशन पाने की हकदार हैं। उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल, 2025 में विधवा/विधुर को पूरी पेंशन राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा, लोकतंत्र सेनानियों या उनकी विधवा/विधुर को अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे कि राज्य की बसों में मुफ़्त यात्रा और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ़्त मेडिकल सुविधाएं।

मिज़ोरम ने भीख मांगने को प्रतिबंधित किया

मिज़ोरम ने भीख मांगने को प्रतिबंधित करने के लिए बिल पारित किया। बिल भिखारियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए रिसीविंग सेंटर्स और उनके निरोध और पुनर्वास के उद्देश्य के लिए रिलीफ सेंटर्स की स्थापना का प्रावधान करता है।

राज्यों ने अपने कानूनों से भेदभावपूर्ण शब्दों को हटाने के लिए संशोधन पारित किए

आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट, 1985 और आंध्र प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण एक्ट, 1977 में संशोधन किया, ताकि कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले भेदभावपूर्ण शब्दों–जैसे "लेपर" (कोढ़ी), "लेपर असाइलम" (कोढ़ी आश्रम) और "लूनेटिक" (पागल)–को हटाया जा सके।

महाराष्ट्र ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के संदर्भों को हटाने के लिए इसी तरह महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण एक्ट, 1960 में संशोधन किया।

हरियाणा ने तीर्थस्थलों और मंदिरों से संबंधित पांच कानूनों में संशोधन किया है, ताकि मूक बधिर व्यक्तियों, और संक्रामक कुष्ठ रोग या अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को संबंधित बोर्ड्स के सदस्य के तौर पर नामित होने से रोकने वाली अयोग्यता को खत्म किया जा सके।

स्वास्थ्य

राज्यों ने चिकित्सा संस्थानों को रेगुलेट करने वाले कानूनों में संशोधन किए

गोवा ने चिकित्सा संस्थानों के लिए पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाने वाला एक बिल पारित किया है। इसके तहत, सभी समाप्त हो चुके या वर्तमान में लागू अंतरिम पंजीकरणों को फिर से पुनर्जीवित किया गया है और उन्हें लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध माना गया है। यह संशोधन उन संस्थानों को भी उसी अवधि के भीतर स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन की अनुमति देता है, जिन्होंने अभी तक कोई पंजीकरण नहीं कराया था।

गुजरात ने पंजीकरण की समय-सीमा को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए गुजरात चिकित्सा संस्थान (पंजीकरण और रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में दो बार संशोधन किया। पहले बिल में मौजूदा संस्थानों के लिए पंजीकरण की समय-सीमा को एक्ट लागू होने की तारीख से एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया। उसने चिकित्सा संस्थानों के लिए राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व का दायरा भी बढ़ाया जिसमें डेंटल, होम्योपैथी और आयुर्वेद परिषदों से एक एक सदस्य को शामिल किया गया है। दूसरे बिल ने तीन वर्ष की समय-सीमा को बदलकर सभी मौजूदा संस्थानों के

लिए 30 अप्रैल, 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी। एक्ट लागू होने के बाद स्थापित संस्थानों के लिए स्थापना के छह महीने के भीतर या 30 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण कराना ज़रूरी है।

पश्चिम बंगाल ने एक बिल पारित किया है जिसके तहत चिकित्सा संस्थानों के लिए जांच, बेड चार्ज और ऑपरेशन थिएटर की प्रक्रियाओं के लिए तय पैकेज दरों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। यह बिल इन दरों के अलावा इंटेंसिव केयर, वेंटिलेशन, इम्प्लांट और कंसल्टेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने पर रोक लगाता है। जिन इलाज के लिए पैकेज दरें लागू नहीं हैं, उनके लिए संस्थानों को मरीजों को पहले ही अनुमानित खर्च बताना होगा और अंतिम बिल उस अनुमानित खर्च के संबंध में सरकार द्वारा तय प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकता। संस्थान के लिए ई-प्रिस्क्रिप्शन लागू करना, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रखना और डिस्चार्ज के समय मरीजों को रिकॉर्ड का पूरा सेट और डिस्चार्ज समरी देना भी ज़रूरी है।

कर्नाटक ने सख़्त सजा का प्रावधान करने के लिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में संशोधन किया

ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत नियमों का उल्लंघन करके दवाएं बनाने और बेचने पर रोक है। कर्नाटक ने बार-बार अपराध करने पर अधिकतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया है। इस एक्ट के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास से दवा या कॉस्मेटिक को ज़ब्त किया गया है, उसे यह साबित करना होगा कि वह दवा या कॉस्मेटिक नकली या मिलावटी नहीं है।

कर्नाटक ने मेडिकल विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य सेवा से जुड़े कानून में संशोधन किया

इस कानून के तहत एमबीबीएस और पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल उम्मीदवारों के लिए सरकारी अस्पतालों में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करना ज़रूरी है। संशोधन के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। अगर ग्रामीण इलाकों में पद भरने के बाद भी उम्मीदवार बच जाते हैं, तो उन्हें शहरी इलाकों में तैनात किया जाएगा। सेवा के लिए तैनाती में दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो उम्मीदवार आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वे पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद अपनी सेवा पूरी करने के लिए सशर्त 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' ले सकते हैं; ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश ने नशीली दवाओं के सेवन को रेगुलेट और पुनर्वास प्रदान करने के लिए बिल पारित किया

हिमाचल प्रदेश ने नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए एक बिल पारित किया है। यह कानून बिना वैध लाइसेंस के नियंत्रित पदार्थों की बिक्री, उन्हें अपने पास रखने या उनके परिवहन पर रोक लगाता है। इसमें शामिल पदार्थ की मात्रा के आधार पर सजा तय की जाती है, जो दो वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की कठोर कैद और उसके साथ जुर्माने तक हो सकती है। नाबालिगों को नशीले पदार्थ बेचने और किसी शिक्षण संस्थान के 500 मीटर के दायरे में अपराध करने पर ज़्यादा सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

यह कानून नशा-मुक्ति, पुनर्वास, निवारक शिक्षा और आजीविका में मदद के लिए एक फंड भी बनाता है, और राज्य सरकार को नशा-मुक्ति और पुनर्वास केंद्र खोलने का अधिकार देता है।

पर्यावरण एवं जल

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने बाढ़ के मैदानों की ज़ोनिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने ऐसे कानून बनाए हैं जो राज्य सरकारों को कुछ इलाकों को 'फ्लड प्लेन ज़ोन' (बाढ़-संभावित क्षेत्र) घोषित करने और लोगों की सुरक्षा के लिए वहां गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार देते हैं। जिन लोगों को ऐसी पाबंदियों की वजह से नुकसान होगा, उन्हें मुआवज़ा पाने का हक होगा।

राज्यों ने पानी से जुड़े कानून बनाए और उनमें संशोधन किए

कर्नाटक ने अपने भूजल कानून में संशोधन किया है ताकि कुछ उपयोगकर्ताओं को भूजल निकालने और इस्तेमाल करने के लिए मंज़ूरी लेने से छूट दी जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) घरेलू इस्तेमाल करने वाले लोग, (ii) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, (iii) कुछ रक्षा और पुलिस संस्थान, (iv) खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियां, (v) रोज़ाना पांच क्यूबिक मीटर तक पानी इस्तेमाल करने वाले उद्योग और खनन परियोजनाएं, और (v) खास रिहायशी अपार्टमेंट।

सिक्किम ने पूरे राज्य में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और साफ़-सफ़ाई की सेवाओं को रेगुलेट और प्रबंधित करने के लिए एक कानून बनाया है। यह कानून राज्य सरकार को ऐसी अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है जो पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे सप्लाई सिस्टम और सीवरेज नेटवर्क) की प्लानिंग, विकास, परिचालन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार होंगी। इसमें पानी के शुल्क, लाइसेंसिंग और गलत इस्तेमाल या नियमों का पालन न करने पर जुर्माने के प्रावधान भी शामिल हैं।

गोवा ने सार्वजनिक स्थलों, जैसे जलाशयों और सीवेज सिस्टम में कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए एक कानून में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, कचरा पैदा करने वाले व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों के लिए एकत्रित कचरे का सुरक्षित निपटान करना ज़रूरी है, और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है।

केरल ने वन और वन्यजीव संबंधी कानूनों में संशोधन किया

केरल ने वन एक्ट, 1961 में संशोधन किया ताकि निजी जमीन के मालिक वन विभाग के ज़रिए अपनी जमीन पर चंदन के पेड़ काटकर बेच सकें। इस संशोधन में 'वन अधिकारी' की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया, जिसमें अब 'बीट वन अधिकारी' भी शामिल हैं, और कानून के तहत कई अपराधों के लिए 'कंपाउंडिंग' (जुर्माना भरकर मामला सुलझाने) की अनुमति भी दी गई।

केरल ने वन्यजीव (संरक्षण) एक्ट, 1972 में भी संशोधन किया है। इसके तहत, मुख्य वन्यजीव वार्डन को उन जंगली जानवरों को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या दूसरी जगह भेजने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या सार्वजनिक जगहों या रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं। राज्य सरकार को किसी भी जानवर को 'वर्मिन' (हानिकारक जीव) घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है।

तमिलनाडु ने क्षतिपूरक वनीकरण भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की अनुमति दी

क्षतिपूर्ति वनीकरण के मायने है, गैर-वन भूमि पर पौधरोपण करना, ताकि उस वन भूमि की भरपाई की जा सके, जिसे गैर वन उद्देश्य के लिए डाइवर्ट यानी परिवर्तित किया गया है। यह संशोधन राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही किसी भी जमीन को आरक्षित वन घोषित कर सके।

विधानमंडल

विभिन्न विधानसभाओं ने अपने सदस्यों के वेतन में वृद्धि की

कई राज्यों की विधानसभाओं ने विधायकों (एमएलए), मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों के वेतन, भत्ते और वित्तीय लाभ बढ़ाने के लिए संशोधन पारित किए। इन राज्यों में कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश ने यह भी निर्दिष्ट किया कि विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों के वेतन में हर पांच वर्ष में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी।

हरियाणा ने अपने विधायकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कीं

हरियाणा ने विधायकों को सुविधाएं देने के लिए कई कानूनों में संशोधन किए हैं। विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। विधायक की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार सभी विधायकों को घर या मोटर कार, या दोनों के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपए का ऋण देगी। इसके अलावा, विधायक घर में बदलाव और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए का एडवांस भी ले सकते हैं।

पहले, हरियाणा विधायकों को 10,000 रुपए तक का यात्रा भत्ता देता था, जिसकी कुल मासिक सीमा एक लाख रुपए थी। अब इस मासिक सीमा को हटा दिया गया है।

स्रोत और कार्य पद्धति

स्रोत

यह रिपोर्ट 27 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के आंकड़ों पर आधारित है। इस वर्ष के दौरान मणिपुर विधानसभा की बैठक नहीं हुई, क्योंकि 13 फरवरी, 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। रिपोर्ट में छह प्रकार के स्रोतों से आंकड़े एकत्र किए गए हैं: (i) प्रत्येक विधानसभा सत्र का संक्षिप्त विवरण या सारांश, जो आम तौर पर सत्र की समाप्ति के कुछ हफ्ते बाद प्रकाशित होते हैं या सत्र के दौरान की गई सभी गतिविधियों का विवरण प्रदान करते हैं, (ii) प्रत्येक विधानसभा सत्र की बैठकों का बुलेटिन (संचालित कार्य का सारांश) और कार्यवाही, (iii) राज्य विधानमंडल की वेबसाइट्स पर उपलब्ध सारांश विवरण, (iv) सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त उत्तर, (v) राज्य के राजपत्र (गैजेट) के प्रकाशन, (vi) राज्य विधानमंडल के अनुसंधान अधिकारियों या सचिवालय के कर्मचारियों से सीधे संवाद के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज। प्रत्येक आंकड़े को विभिन्न स्रोतों से सत्यापित किया गया है।

कार्य पद्धति

'बैठक के दिन' को उन कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जब किसी सदन का सत्र होता है। अगर किसी सदन में एक दिन दो बैठकें होती हैं तो उसे एक बैठक के दिन के रूप में गिना गया है। रेखाचित्र 1 और रेखाचित्र 5 में जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है, वहां पहले के वर्षों के बैठकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। कई वर्षों के दौरान औसत बैठक वाले दिनों के मामले में, आंकड़े केवल उन राज्यों के लिए माने गए हैं, जहां ये पिछले पांच वर्षों से लगातार उपलब्ध थे (रेखाचित्र 3)।

बैठक के दिन इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि विधानसभाओं ने प्रत्येक दिन कितनी देर तक काम किया। प्रत्येक विधानमंडल के लिए बैठक की औसत अवधि को सांख्यिकीय विवरणों से संकलित किया गया है, या दैनिक बुलेटिनों या पूरी कार्यवाही से इसकी गणना की गई है। चूंकि कुछ राज्यों का उल्लेख रेखाचित्र 4 में नहीं है, इसलिए उनकी बैठकों के समय का पता नहीं लगाया जा सका।

पारित होने वाले बिल की कुल संख्या सत्र के रेज्यूमेज़ और बुलेटिन्स के जरिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक बिल और एक्ट को तिथि अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और इस क्रम को कमियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सभी राज्य अपने-अपने बिल और एक्ट की नंबरिंग अलग-अलग तरह से करते हैं। कुछ राज्यों के बिल और एक्ट की प्रतियां नहीं मिल पाई हैं। इस विश्लेषण में एप्रोप्रिएशन बिल्स और फाइनांस बिल्स पर विचार नहीं किया गया है और इसमें उन्हीं बिल्स को शामिल किया गया है जिन्हें विधानमंडल ने 2025 में पारित किया।

बिल को पारित करने में लगने वाले समय का विश्लेषण (रेखाचित्र 7) विधानसभा में पेश किए जाने और पारित होने की तारीखों पर आधारित है, भले ही वह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य हो। जहां बिल को विधान परिषद में पेश किया जाता है, वहां बिल पारित करने में लगने वाले समय की गणना विधान परिषद में पारित होने की तारीख से की जाती है। बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलने में लगने वाला समय (रेखाचित्र 10) विधानसभा से पारित होने की तारीख और मंजूरी की तारीख पर आधारित है। द्विसदनीय विधायिका के मामले में मंजूरी की तारीख उस तारीख से मानी जाती है, जिस दिन बिल दूसरे सदन में पारित हुआ था।

किसी बिल को पेश करने और पारित होने के बीच का अंतराल इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि उस पर विधायी समीक्षा की गुणवत्ता क्या थी। इसे अन्य संकेतकों के जरिए मापा जा सकता है, जैसे सदन में बिल पर चर्चा में लगने वाला समय, बिल पर बहस का विवरण और इस बात की जानकारी कि समितियों ने बिल की समीक्षा कैसे की है। हालांकि संसद से अलग, अधिकतर राज्य पूरी कार्यवाही या बिल पर बहस की विस्तृत सूचना प्रकाशित नहीं करते। केरल में सत्र के रेज्यूमेज़ में संशोधन प्रस्तावों की संख्या सहित बहस पर जानकारियां जारी की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा, जैसे अन्य राज्यों में इन विवरणों को सदन की कार्यवाहियों से निकालना पड़ता है। बहुत कम राज्य अपनी विधानसभाओं में गठित समितियों के बारे में जानकारी देते हैं। इस रिपोर्ट में

समितियों से जुड़ी सभी जानकारी या तो विधानसभा की वेबसाइट्स पर दिए गए वक्तव्यों से या आरटीआई के ज़रिए हासिल की गई है।

बजट संबंधी आंकड़े उन्हीं स्रोतों से हासिल किए गए हैं, जो ऊपर बताए गए हैं। पारित किए गए बजट के आकार राज्य के बजट दस्तावेज़ों से प्राप्त हुए हैं। हालांकि बजट पेश करने और उस पर चर्चा की तारीखें आसानी से मिल गईं, लेकिन कई राज्यों से चर्चा की अवधि की जानकारी नहीं मिल सकी। सदन में असल में जिन मांगों (मंत्रालयों के बजट) पर चर्चा हुई और जिन मांगों को 'गिलोटिन' किया गया (यानी बिना चर्चा या वोटिंग के पारित कर दिया गया), उनकी संख्या के बारे में केवल कुछ राज्यों के बुलेटिन से जानकारी मिल पाई। ये आंकड़े राज्य विधानसभाओं के कामकाज को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं।

आंकड़े एकत्र करने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य चुनौती यह है कि राज्य विधानमंडलों के आंकड़े प्रकाशित करने के तरीकों में बहुत विसंगतियां हैं। कुछ राज्य नियमित रूप से अपनी वेबसाइट या नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (यह सभी विधानमंडलों के बारे में जानकारियां जमा करने की एक केंद्रीय पहल है) को अपडेट नहीं करते। यहां चुने गए संकेतकों के बारे में कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। सरकारी दस्तावेज़ों में भी विसंगतियां पाई गईं, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया लंबी हो गई। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज उपलब्ध थे जिससे आंकड़ों को एकत्र करने और उन्हें सत्यापित करने में मुश्किलें आईं।

अनुलग्नक 1: 2025 में पारित बिल्स की सूची, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी

इस सूची में 2025 में अधिनियमित राज्य कानून दिए गए हैं। ये राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स और राज्य के राजपत्रों में उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Lifts and Escalators Bill, 2025
2. The Andhra Pradesh Rights in Land and Pattadar Pass Books (Amendment) Bill, 2025
3. The Andhra Pradesh (Andhra Area) Ayurvedic and Homeopathic Medical Practitioners Registration (Amendment) Bill, 2025
4. The Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Development Authorities (Amendment) Bill, 2025
5. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
6. The Andhra Pradesh State Teachers Transfers Regulation Bill, 2025
7. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Second Amendment) Bill, 2025
8. The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
9. The Andhra Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2025
10. The Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2025
11. The Andhra Pradesh Prevention of Begging (Amendment) Bill, 2025
12. The Andhra Pradesh Excise (Amendment) Bill, 2025
13. The Andhra Pradesh Scheduled Castes (Sub-Classification) Bill, 2025
14. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
15. The Andhra Pradesh Grama Sachivalayams and Ward Sachivalayams (GSWS) (Amendment) Bill, 2025
16. The Andhra Pradesh State Aquaculture Development Authority (Amendment) Bill, 2025
17. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Bill, 2025
18. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Second Amendment) Bill, 2025
19. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Third Amendment) Bill, 2025
20. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Fourth Amendment) Bill, 2025
21. The Andhra Pradesh Municipalities (Amendment) Bill, 2025
22. The India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Andhra Pradesh Bill, 2025
23. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Third Amendment) Bill, 2025
24. The Andhra Pradesh Universities (Amendment) Bill, 2025
25. The Andhra Pradesh Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) (Repeal) Bill, 2025
26. The Andhra Pradesh (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalisation of Staff Pattern and Pay Structure) (Amendment) Bill, 2025
27. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025

अरुणाचल प्रदेश

1. The Arunachal Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 2025
2. The Arunachal Pradesh Flood Plain Zoning Bill, 2025
3. The Arunachal Pradesh Goods and Services (Amendment) Bill, 2025
4. The Arunachal Pradesh Arun Parivar Patra Authority Bill, 2025

असम

1. The Assam Right to Public Services (Amendment) Bill, 2025
2. The Tiwa Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
3. The Assam Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
4. The Rabha Hasong Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
5. The Sonowal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
6. The Deori Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
7. The Thengal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
8. The Bodo Kachari Welfare Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
9. The Mising Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
10. The Assam Municipal Employees (Provincialisation) Bill, 2025
11. The Assam Panchayat (Amendment) Bill, 2025
12. The Assam Cattle Preservation (Amendment) Bill, 2025
13. The Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences (Amendment) Bill, 2025
14. The Bongaigaon University (Amendment) Bill, 2025
15. The Gurucharan University (Amendment) Bill, 2025
16. The Jagannath Barooah University (Amendment) Bill, 2025
17. The Nagaon University (Amendment) Bill, 2025

18. The North Lakhimpur University (Amendment) Bill, 2025
19. The Sibsagar University (Amendment) Bill, 2025
20. The Swahid Kanaklata Barua State University (Amendment) Bill, 2025
21. The Kokrajhar University (Amendment) Bill, 2025
22. The Assam Private Universities (Amendment) Bill, 2025
23. The Maa Kamakhya University Bill, 2025
24. The Edtech Skills University Bill, 2025
25. The Swami Vivekanand University Bill, 2025
26. The Assam Coaching Institutes (Control and Regulation) Bill, 2025
27. The Assam Veterinary and Fishery University (Amendment) Bill, 2025
28. The Assam Police (Amendment) Bill, 2025
29. The Assam Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025
30. The Matak Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
31. The Moran Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
32. The Assam Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) (Amendment) Bill, 2025
33. The Assam Satra Preservation and Development Commission Bill, 2025
34. The Rabindranath Tagore University (Amendment) Bill, 2025
35. The Su-Ka-Pha University Bill, 2025
36. The Assam Taxation (Liquidation of Arrear Dues) (Amendment) Bill, 2025
37. The Assam Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2025
38. The Assam District Land Tribunal Bill, 2025
39. The Assam Fixation of Ceiling of Land Holding (Amendment) Bill, 2025
40. The Assam Co-operative Societies (Amendment) Bill 2025
41. The Assam Fire and Emergency Services Bill, 2025
42. The North Eastern Regional Institute of Management (NERIM) University Bill, 2025
43. The Azim Premji (Assam) University Bill, 2025
44. The Mising Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
45. The Rabha Hasong Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
46. The Tiwa Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
47. The Deori Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
48. The Sonowal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
49. The Thengal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
50. The Bodo Kachari Welfare Autonomous Council (Amendment) Bill, 2025
51. The Assam Non-Government Educational Institutions (Regulation of Fees) (Amendment) Bill, 2025
52. The Karbi Welfare Autonomous Council Bill, 2025
53. The Assam Elementary and Secondary School Teachers (Regulation of Posting and Transfer) (Amendment) Bill, 2025
54. The Assam Education (Provincialisation of Services of Teachers and Reorganisation of Educational Institutions) (Amendment) Bill, 2025
55. The Assam Education (Provincialisation of Services of Non-Teaching Staff of Venture Educational Institutions) (Amendment) Bill, 2025
56. The Assam Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025

बिहार

1. The Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Bill, 2025
2. The Bihar Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2025
3. The Bihar Goods And Services Tax (First Amendment) Bill, 2025
4. The Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Bill, 2025
5. The Bihar Municipal (Amendment) Bill, 2025
6. The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Bill, 2025
7. The Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-agricultural Purposes) (Amendment) Bill, 2025
8. The Bihar Underground Pipe Line (Acquisition of user's Right in Land) (Amendment) Bill, 2025
9. The Bihar Animal Breeding Regulation Bill, 2025
10. Jannayak Karpuri Thakur Skill University Bill, 2025
11. The Bihar Platform Based Gig Workers (Registration, Safety and Welfare) Bill, 2025
12. The Bihar Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2025
13. The Factories (Bihar Amendment) Bill, 2025

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
2. The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Salary, Allowance and Pension (Amendment) Bill, 2025
3. The Chhattisgarh Democracy Fighter Samman Bill, 2025

4. The Chhattisgarh Public Premises (Eviction) (Amendment) Bill, 2025
5. The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Salary, Allowance and Pension (Amendment) Bill, 2025
6. The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Bill, 2025
7. The Chhattisgarh Labor Law Amendment and Miscellaneous Provisions Bill, 2025
8. The Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Bill, 2025
9. The Chhattisgarh Co-operative Society (Amendment) Bill, 2025
10. The Chhattisgarh State Industrial Security Force Bill, 2025
11. The Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2025
12. The Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2025
13. The Chhattisgarh Agricultural Produce Market (Amendment) Bill, 2025
14. The Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
15. The Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2025
16. The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty (Amendment) Bill, 2025
17. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
18. The Chhattisgarh Leasehold Rights to Homeless Persons in Urban Areas (Amendment) Bill, 2025
19. The Chhattisgarh Pension Fund Bill, 2025
20. The Chhattisgarh Growth and Stability Fund Bill, 2025
21. The Chhattisgarh Kushabhau Thackeray Journalism and Mass Communication University (Amendment) Bill, 2025
22. The Chhattisgarh Capital Region Development Authority Bill, 2025
23. The Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
24. The Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2025
25. The Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) (Second) Bill, 2025

दिल्ली

1. The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025
2. The Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
3. The Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

गोवा

1. The Goa Provision of Water Supply (Amendment) Bill, 2025
2. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
3. The Goa Value Added Tax (Amendment) Bill, 2025
4. The Goa Legislative Diploma No. 2070 dated 15-4-1961 (Amendment) Bill, 2025
5. The Goa Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
6. The Goa Hoardings (Regulations & Control) Bill, 2025
7. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
8. The Goa Homoeopathy Council (Amendment) Bill, 2025
9. The Goa Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025
10. The Goa State Research Foundation (Amendment) Bill, 2025
11. The Goa Private Universities (Amendment) Bill, 2025
12. The Goa Suits Valuation Bill, 2025
13. The Goa Animal Breeding and Domestication (Regulation and Compensation) Bill, 2025
14. The Goa (Recovery of Arrears of Tax, Interest, Penalty, Other Dues Through Settlement) (Amendment) Bill, 2025
15. The Goa Tourist Places (Protection and Maintenance) (Amendment) Bill, 2025
16. The Goa Tax on Infrastructure (Amendment) Bill, 2025
17. The Goa Private Universities (Amendment) Bill, 2025
18. The Goa Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2025
19. The Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2025
20. The Goa Non-Biodegradable Garbage (Control) (Amendment) Bill, 2025
21. The Indian Stamp (Goa Amendment) Bill, 2025
22. The Goa Legislative Diploma No. 2070 dated 15-4-1961 (Amendment) Bill, 2025
23. The Goa Regularisation of Unauthorized Construction (Amendment) Bill, 2025
24. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
25. The Goa Municipalities (Amendment) Bill, 2025
26. The City of Panaji Corporation (Amendment) Bill, 2025

गुजरात

1. The Gujarat State Council for Physiotherapy (Repeal) Bill, 2025
2. The Gujarat Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
3. The Gujarat Professional Civil Engineer (Repeal) Bill, 2025
4. The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025

5. The Gujarat Bovine Breeding (Regulation) Bill, 2025
6. The Gujarat Land Revenue (Amendment) Bill, 2025
7. The Gujarat Stamp (Amendment) Bill, 2025
8. The Gujarat Fisheries (Amendment) Bill, 2025
9. The Gujarat Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
10. The Gujarat Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025
11. The Gujarat Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Second Amendment) Bill, 2025
12. The Gujarat Medical Practitioners' (Amendment) Bill, 2025

हरियाणा

1. The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 2025
2. The Panchkula Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2025
3. The Sports University of Haryana (Amendment) Bill, 2025
4. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025
5. The Haryana Land Revenue (Amendment) Bill, 2025
6. The Haryana Honorable Disposal of Dead Body Bill, 2025
7. The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2025
8. The Haryana Prevention of Public Gambling Bill, 2025
9. The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Bill, 2025
10. The Haryana Horticulture Nurseries Bill, 2025
11. The Aparna Institution (Taking over of Management and Control) Bill, 2025
12. The Haryana (Exchange of Prisoners) Repeal Bill, 2025
13. The Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, 2025
14. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2025
15. The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2025
16. The Haryana Backward Classes Commission (Amendment) Bill, 2025
17. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
18. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Amendment Bill, 2025
19. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2025
20. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Second Amendment Bill, 2025
21. The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2025
22. The Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill, 2025
23. The Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Bill, 2025
24. The Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Bill, 2025
25. The Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Bill, 2025
26. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2025
27. The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2025
28. The Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Amendment Bill, 2025
29. The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 2025
30. The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
31. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2025
32. The Haryana Abadi Deh (Vesting, Recording and Resolving of Ownership Rights) Bill, 2025
33. The Haryana Shops and Commercial Establishment (Amendment) Bill, 2025
34. The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Bill, 2025

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2025
3. The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2025
4. The Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2025
5. The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2025
6. The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speakers and Deputy Speakers' Salaries (Amendment) Bill, 2025
7. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Bill, 2025
8. The Himachal Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2025
9. The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Bill, 2025
10. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2025
11. The Himachal Pradesh (Taxation on Carriage of Certain Goods by Road) Amendment Bill, 2025
12. The Himachal Pradesh Panchyati Raj (Amendment) Bill, 2025
13. The Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Conditions (Amendment) Bill, 2025
14. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (2nd Amendment) Bill, 2025

15. The Himachal Pradesh Municipalities (2nd Amendment) Bill, 2025
16. The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2025

जम्मू एवं कश्मीर

1. The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Jammu and Kashmir Tenancy Bill, 2025
3. The Jammu and Kashmir Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025
4. The Jammu and Kashmir Shops and Establishments (Licensing, Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 2025
5. The Jammu and Kashmir Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2025
6. The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

झारखंड

1. The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Factories (Jharkhand Amendment) Bill, 2025
3. The Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2025
4. The Jharkhand Professional Educational Institutions (Fee Regulation) Bill, 2025
5. The Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprises (Special Exemption) Bill, 2025
6. The Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025
7. The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2025

कर्नाटक

1. The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development)(Amendment) Bill, 2025
2. The Karnataka Pawn Brokers (Amendment) Bill, 2025
3. The Karnataka Prohibition of Charging Exorbitant Interest (Amendment) Bill, 2025
4. The Karnataka Money Lenders (Amendment) Bill, 2025
5. The Bangalore Palace (Utilization and Regulation of Land) Bill, 2025
6. The Karnataka Micro Loan and Small Loan (Prevention of Coercive Actions) Bill, 2025
7. The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University (Amendment) Bill, 2025
8. The Karnataka Tax on Profession, Trades, Callings and Employments (Amendment) Bill, 2025
9. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Bill, 2025
10. The Karnataka Stamp (Amendment) Bill, 2025
11. The Registration (Karnataka Amendment) Bill, 2025
12. The Karnataka Village Offices Abolition (Amendment) Bill, 2025
13. The Karnataka Land Grabbing Prohibition (Amendment) Bill, 2025
14. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Amendment) Bill, 2025
15. The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
16. The Universities of Agricultural Sciences (Amendment) Bill, 2025
17. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
18. The Karnataka Animal Feed (Regulation of Manufacture and Quality Control) Bill, 2025
19. The Dr. H. Narasimaiah Science, Educational, Cultural and Tourism Development Authority Bill, 2025
20. The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Bill, 2025
21. The Karnataka Ministers Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2025
22. The Bangalore Palace (Utilization and Regulation of Land) (Amendment) Bill, 2025
23. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and Other Staff) (Amendment) Bill, 2025
24. The Karnataka Compulsory Service by Candidates Completed Medical Courses (Amendment) Bill, 2025
25. The Karnataka State Universities (Amendment) Bill, 2025
26. The Karnataka Platform Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill, 2025
27. The Karnataka Medical Registration (Amendment) Bill, 2025
28. The Karnataka Tank Conservation and Development Authority (Amendment) Bill, 2025
29. The Basavakalyana Development Board (Amendment) Bill, 2025
30. The Kaginele Development Authority (Amendment) Bill, 2025
31. The Nadaprabhu Kempegowda Heritage Area Development Authority (Amendment) Bill, 2025
32. The Kitturu Development Authority (Amendment) Bill, 2025
33. The Kudala Sangama Development Board (Amendment) Bill, 2025
34. The Banavasi Development Authority (Amendment) Bill, 2025
35. The Sarvajna Kshetra Development Authority (Amendment) Bill, 2025
36. The Karnataka Fire Force (Amendment) Bill, 2025
37. The Karnataka Groundwater (Regulation and Control of Development and Management) (Amendment) Bill, 2025
38. The Karnataka Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
39. The Karnataka Essential Services Maintenance (Amendment) Bill, 2025
40. The Karnataka Souharda Cooperative (Amendment) Bill, 2025
41. The Karnataka Conduct of Government Litigation (Amendment) Bill, 2025

42. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2025
43. The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) (Amendment) Bill, 2025
44. The Karnataka Land Reforms and Certain Other Law (Amendment) Bill, 2025
45. The Gadag-Betageri Trade, Culture and Exhibition Authority (Amendment) Bill, 2025
46. The Karnataka Municipalities and Certain Other Laws (Amendment) Bill, 2025
47. The Karnataka Town and Country Planning and Certain Other Laws (Amendment) Bill, 2025
48. The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Bill, 2025
49. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
50. The Greater Bangaluru Governance (Amendment) Bill, 2025
51. The Karnataka Decriminalisation (Amendment of Provisions) Bill, 2025
52. The Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Bill, 2025
53. The Karnataka Traditional Migratory Shepherds (Welfare Measures and Protection against Atrocities) Bill, 2025
54. The Karnataka Appointment of Recovery Commissioners for Seizure and Confiscation of Property arising from Illegal Mining and Proceeds of Crime Bill, 2025
55. The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors (Amendment) Bill, 2025
56. The Basavanagudi Development Authority (Amendment) Bill, 2025
57. The Karnataka Rent (Amendment) Bill, 2025
58. The Karnataka Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025
59. Sri Malai Mahadeshwaraswamy Kshetra Development Authority (Amendment) Bill, 2025
60. The Chandragutti Shree Renukamba Kshetra Development Authority Bill, 2025
61. The Karnataka Cine and Cultural Activities (Welfare) (Amendment) Bill, 2025
62. The Karnataka State Universities (Second Amendment) Bill, 2025
63. The Bayaluseeme Development Board (Amendment) Bill, 2025
64. The Malnad Area Development Board (Amendment) Bill, 2025
65. Shree Chamundeshwari Kshetra Development Authority and Certain Other Laws (Amendment) Bill, 2025
66. The Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2025
67. The Greater Bengaluru Governance (Second Amendment) Bill, 2025
68. The Karnataka Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2025
69. The Bengaluru Metropolitan Land Transport Authority (Amendment) Bill, 2025
70. The Bombay Public Trust (Karnataka Amendment) Bill, 2025
71. The Nadaprabhu Kempegowda Heritage Area Development Authority (Second Amendment) Bill, 2025
72. The Karnataka State Road Safety Authority (Amendment) Bill, 2025
73. The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Bill, 2025
74. The Karnataka State Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2025

केरल

1. The Kerala State Elderly Commission Bill, 2025
2. The Kerala Finance Bill, 2025
3. The Guruvayoor Devaswom (Amendment) Bill, 2025
4. The Kerala Coir Workers' Welfare Cess (Amendment) Bill, 2025
5. The Kerala Societies Registration Bill, 2025
6. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Universities) Amendment (No.2) Bill, 2025
7. The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025
8. The Kerala Forest (Amendment) Bill, 2025
9. The Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development (Amendment) Bill, 2025
10. The Kerala Single Dwelling Place Protection Bill, 2025
11. The Malayalam Language Bill, 2025
12. The Kerala Right to Public Service Bill, 2025
13. The Kerala General Sales Tax (Amendment) Bill, 2024
14. The Kerala Industrial Infrastructure Development (Amendment) Bill, 2024
15. The Kerala Sports (Amendment) Bill, 2024
16. The Kerala Public Records Bill, 2023

मध्य प्रदेश

1. The Madhya Pradesh Town and Village Investment (Amendment) Bill, 2025
2. The Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2025
3. The Madhya Pradesh Labor Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Bill, 2025
4. The Madhya Pradesh Universities (Amendment) Bill, 2025
5. The Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2025
6. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
7. The Indian Stamp (Madhya Pradesh Second Amendment) Bill, 2025

8. The Madhya Pradesh Metropolitan Region Planning and Development Bill, 2025
9. The Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
10. The Factories (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2025
11. The Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2025
12. The Madhya Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
13. The Madhya Pradesh Legal Aid and Legal Advice for Weaker Sections of Society (Repeal) Bill, 2025
14. The Madhya Pradesh Shops and Establishments (Second Amendment) Bill, 2025
15. The Madhya Pradesh Municipal (Amendment) Bill, 2025

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2025
2. The Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee (Payable by Public Sector Undertaking Companies) Bill, 2025
3. The Maharashtra Stamp (Amendment) Bill, 2025
4. The Maharashtra Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 2025
5. The Maharashtra Public Trusts (Amendment) Bill, 2025
6. The Maharashtra Highways (Amendment) Bill, 2025
7. The Maharashtra Private Placement Agencies (Regulation) Bill, 2025
8. The Maharashtra Temporary Extension of Period for Submitting Validity Certificate (for certain elections to Village Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samitis) Bill, 2025
9. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Fifth Amendment) Bill, 2025
10. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Sixth Amendment) Bill, 2025
11. The Maharashtra Gadchiroli District Mining Authority Bill, 2025
12. The Nashik-Trimbakeshwar Kumbh Mela Authority Bill, 2025
13. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
14. The Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fee (Payable by Public Sector Undertaking Companies) (Amendment and Validation) Bill, 2025
15. The Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions and Fees) (Amendment) Bill, 2025
16. The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) (Second Amendment) Bill, 2025
17. The Maharashtra Control of Organised Crime (Amendment) Bill, 2025
18. The Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Validation) Bill, 2025
19. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Bill, 2025
20. The Maharashtra Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
21. The Maharashtra Public Trusts (Second Amendment) Bill, 2025
22. The Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Bill, 2025
23. The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 2025
24. The Maharashtra Public Trusts (Third Amendment) Bill, 2025
25. The Maharashtra Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
26. The Maharashtra Land Revenue Code (Second Amendment) Bill, 2025
27. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Bill, 2025
28. The Maharashtra Private Universities (Establishment and Regulation) (Second Amendment) Bill, 2025
29. The Maharashtra Land Revenue Code (Amendment and Validation) Bill, 2025
30. The Hyderabad Abolition of Inams and Cash Grants (Amendment) Bill, 2025
31. The Maharashtra Land Revenue Code (Second Amendment and Validation) Bill, 2025
32. The Maharashtra Stamp (Second Amendment) Bill, 2025
33. The Mamlatdar's Court (Amendment) Bill, 2025
34. The Maharashtra Lokayukta (Amendment) Bill, 2025
35. The Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) (Amendment and Validation) Bill, 2025
36. The Maharashtra Prisons and Correctional Services Bill, 2025
37. The Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare) (Amendment) Bill, 2025
38. The Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare) (Amendment) Bill, 2025
39. The Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Amendment) Bill, 2025
40. The Maharashtra State Commission for Scheduled Tribes Bill, 2025
41. The Maharashtra State Commission for Scheduled Castes Bill, 2025
42. The Maharashtra Village Panchayats and Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Bill, 2025
43. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Bill, 2025
44. The Maharashtra Prevention of Begging (Amendment) Bill, 2025
45. The Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) (Third Amendment) Bill, 2025

मणिपुर

1. The Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

मेघालय

1. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Bill, 2025
2. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2025
3. The Meghalaya Ceiling on Government Guarantees Bill, 2025
4. The Meghalaya Police (Amendment) Bill, 2025
5. The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
6. The Meghalaya State Investment Promotion & Facilitation (Amendment) Bill, 2025
7. The Meghalaya State Language (Amendment] Bill, 2025
8. The Meghalaya Homeopathic Medicine (Amendment] Bill, 2025
9. The Meghalaya Private Universities (Regulation of Establishment and Maintenance of Standards) (Amendment] Bill, 2025
10. The Meghalaya Private Medical Institution Including Institutes Under Private University (Regulation of Admission, Fixation of Fees and Reservation) Bill, 2025
11. The Meghalaya Heritage (Amendment] Bill, 2025
12. The Meghalaya Shops and Establishment (Amendment) Bill, 2025
13. The National Law University of Meghalaya (Amendment) Bill, 2025
14. The Meghalaya Decriminalization (Amendment of Provision and Repealing) Bill, 2025
15. The Meghalaya Private Colleges (Promotion and Regulation) Bill, 2025
16. The Meghalaya Town and Country Planning Act (Amendment) Bill, 2025
17. The Meghalaya Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

मिज़ोरम

1. The Mizoram Urban and Regional Development Bill, 2025
2. The Mizoram Private Placement Agencies (Regulation) Bill, 2025
3. The Mizoram Goods And Services Tax (First Amendment) Bill, 2025
4. The Mizoram State University Bill, 2025
5. The Mizoram Exhibition of Films on Television Screen Through Video Cassette Players (Repeal) Bill, 2025
6. The Mizoram Youth Commission Bill, 2025
7. The Mizoram (Village Councils) Bill, 2025
8. The Mizoram (Pension for Members of the Defunct Mizo District Council and of the Defunct Pawi - Lakher Regional Council) (Amendment) Bill, 2025
9. The Mizoram Liquor (Prohibition) Amendment Bill, 2025
10. The Mizoram Salaries, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Amendment) Bill, 2025
11. The Mizoram (Land Revenue) (Amendment) Bill, 2025
12. The Mizoram Prohibition of Beggary Bill, 2025
13. The Mizoram Private Placement Agencies (Regulation) (Amendment) Bill, 2025

नागालैंड

1. The Nagaland Town and Country Planning (Fourth Amendment) Bill, 2025
2. The Investment and Development Authority of Nagaland (Validation) Bill, 2025
3. The Nagaland Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Bill, 2024
4. The Rules for Administration of Justice and Police in Nagaland (Fifth Amendment) Bill, 2025
5. The Nagaland Work-charged and Casual Employee Regulation (Second Amendment) Bill, 2025
6. The Nagaland Flood Plain Zoning Bill, 2025
7. The Nagaland State Finance Commission Bill, 2025

ओड़िशा

1. The Odisha State Highways Authority Bill, 2025
2. The Odisha Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
3. The Odisha Universities (Amendment) Bill, 2025
4. The Odisha Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2025
5. The Odisha Jan Vishwas Bill, 2025

पुद्दूचेरी

1. The Puducherry Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Puducherry Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
3. The Puducherry Ease of Doing Business (Service Delivery) Bill, 2025
4. The Puducherry Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025

5. The Puducherry Municipalities (Amendment) Bill, 2025
6. The Puducherry Village and Commune Panchayats (Amendment) Bill, 2025
7. The Puducherry Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2025

पंजाब

1. The Punjab Water Resources (Management and Regulation) Amendment Act, 2025
2. The Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, 2025
3. The Transfer of Prisoners (Punjab Amendment) Bill, 2025
4. The Punjab Regulation of Crusher Units, and Stockists and Retailers Bill, 2025
5. The Punjab Law Officers (Engagement) Amendment Bill, 2025
6. The Rayat Bahra Professional University, Hoshiarpur Bill, 2025
7. The C.G.C. University, Mohali Bill, 2025
8. The Punjab Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2025
9. The Punjab State Development Tax (Amendment) Bill, 2025
10. The Punjab Right to Business (Amendment) Bill, 2025
11. The Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
12. The Punjab Apartment and Property Regulation (Amendment) Bill, 2025
13. The Punjab Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2025
14. The Punjab Town Improvement (Amendment) Bill, 2025
15. The Indian Stamp (Punjab Second Amendment) Bill, 2025
16. The Punjab Abadi Deh (Record of Rights) Amendment Bill, 2025
17. The Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, 2025

राजस्थान

1. The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Rajasthan Finance Bill, 2025
3. The Rajasthan Universities' Laws (Amendment) Bill, 2025
4. The Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validaiton) Bill, 2025
5. The Bharatpur Development Authority Bill, 2025
6. The Bikaner Development Authority Bill, 2025
7. The Rajasthan Laws (Amendment) Bill, 2025
8. The Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Bill, 2025
9. The Rajasthan Laws Repealing Bill, 2025
10. The Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Bill, 2025
11. The Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025
12. The Rajasthan Fisheries (Amendment) Bill, 2025
13. The Rajasthan Institute of Medical Sciences, Jaipur Bill, 2025
14. The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025

सिक्किम

1. The Sikkim Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2025
2. The Trident University of Applied Sciences Sikkim Bill, 2025
3. The Sri Venkateshwara University Bill, 2025
4. The Sikkim Model Schools Bill, 2025
5. The Sikkim Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 2025
6. The Sikkim Municipalities (Amendment) Bill, 2025
7. The Mahatma Gandhi University Sikkim (Amendment) Bill, 2025
8. The Capital University (Amendment) Bill, 2025
9. The Atal Bihari Vajpayee Skill University Sikkim Bill, 2025
10. The Sengol International University Sikkim Bill, 2025
11. The Fusion University Sikkim Bill, 2025
12. The Sikkim Lokayukta (Amendment) Bill, 2025
13. The Sikkim Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
14. The Sikkim Land Revenue Bill, 2025
15. The Sikkim Sewerage and Sewage Disposal Bill, 2025
16. The Sikkim Water Supply and Water Charges Bill, 2025
17. The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Sikkim Bill, 2025
18. The Sikkim Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2025
19. The Sikkim Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2025
20. The Sikkim Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2025

तमिलनाडु

1. The Tamil Nadu Borstal Schools (Repeal) Bill, 2025
2. The Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Woman (Amendment) Bill, 2025
3. The Tamil Nadu Panchayats (Amendment) Bill, 2025
4. The Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2025
5. The Tamil Nadu Forest (Amendment) Bill, 2025
6. The Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Bill, 2025
7. The Tamil Nadu Panchayats (Second Amendment) Bill, 2025
8. The Tamil Nadu Money Lending Entities (Prevention of Coercive Actions) Bill, 2025
9. The Tamil Nadu Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Cyber law offenders, Drug offenders, Forest offenders, Goondas, Immoral Traffic Offenders, Sand-offenders, Sexual-offenders, Slum-grabbers and Video Pirates (Amendment) Bill, 2025
10. The Tamil Nadu Fire and Rescue Services Bill, 2025
11. The Tamil Nadu Urban Local Bodies (Second Amendment) Bill, 2025
12. The Tamil Nadu Panchayats (Third Amendment) Bill, 2025
13. The Tamil Nadu Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2025
14. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
15. The Registration (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2025
16. The Tamil Nadu Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2025
17. The Tamil Nadu Lifts and Escalators (Amendment) Bill, 2025
18. The Tamil Nadu Payment of Salaries (Amendment) Bill, 2025
19. The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University (Amendment) Bill, 2025
20. The Tamil Nadu Repealing Bill, 2025
21. The Tamil Nadu Repealing (Second) Bill, 2025
22. The Tamil Nadu Panchayats (Fourth Amendment) Bill, 2025
23. The Tamil Nadu Panchayats (Fifth Amendment) Bill, 2025
24. The Tamil Nadu Highways (Amendment) Bill, 2025
25. The Tamil Nadu Maritime Board (Amendment) Bill, 2025
26. The Tamil Nadu Tax on Consumption or Sale of Electricity (Amendment) Bill, 2025
27. The Tamil Nadu Admission in Professional Educational Institutions (Amendment) Bill, 2025
28. The Tamil Nadu Private Colleges (Regulation) Amendment Bill, 2025

तेलंगाना

1. The Potti Sreeramulu Telugu University (Amendment) Bill, 2025
2. The Telangana Scheduled Castes (Rationalisation of Reservations) Bill, 2025
3. The Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Bill, 2025
4. The Telangana Advocates Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025
5. The Telangana Advocates Clerks Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025
6. The Telangana Municipalities (Amendment) Bill, 2025
7. The Telangana Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
8. The Telangana Transplantation of Human Organs (Repeal) Bill, 2025
9. The Telangana Allopathic Private Medical Care Establishments (Registration and Regulation) (Repeal) Bill, 2025
10. The Telangana Municipalities (Second Amendment) Bill, 2025
11. The Telangana Panchayat Raj (Second Amendment) Bill, 2025

त्रिपुरा

1. The Tripura Shops and Establishments (Sixth Amendment) Bill, 2024
2. The Salaries, Allowances, Pension and Other Benefits of The Ministers, Speaker, Dy. Speaker, LoP, Govt Chief Whip and the MLAs (Tripura) (Ninth Amendment) Bill, 2024
3. The Societies Registration (Tripura Amendment) Bill, 2025
4. The Tripura Co-operative Societies (Fifth Amendment) Bill, 2025
5. The Tripura Excise (Fifth Amendment) Bill, 2025
6. The Tripura Municipal (Ninth Amendment) Bill, 2025
7. The Tripura State Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Bill, 2025
8. The Tripura Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025
9. The Factories (Tripura Second Amendment) Bill, 2025
10. The Tripura Shops and Establishments (Seventh Amendment) Bill, 2025

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Town Planning and Development (Amendment) Bill, 2025
2. The Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2025
3. The Uttar Pradesh Shri Banke Bihari Ji Temple Trust Bill, 2025

4. The Uttar Pradesh Repeal Bill, 2025
5. The Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Bill, 2025
6. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill, 2025
7. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
8. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Bill, 2025
9. The Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill, 2025
10. The Uttar Pradesh Public Records Bill, 2025
11. The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2025
12. The Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Law (Amendment) Bill, 2025
13. The Uttar Pradesh Rural Population Records Bill, 2025
14. The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Bill, 2025
15. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2025
16. The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Bill, 2025
17. The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Bill, 2025
18. The Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Bill, 2025
19. The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2025
20. The Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Bill, 2025
21. The King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2025
22. The Uttar Pradesh Facilitative Trade (Amendment of Provisions) Bill, 2025
23. The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2025

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025
2. The Uttarakhand Repealing Bill, 2025
3. The Uttarakhand State Legislative Assembly (Emoluments and Pension of Members) (Amendment) Bill, 2025
4. The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2025
5. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Bill, 2025
6. The Uttarakhand Depositor's Interest Protection (in Financial Establishments) (Repeal) Bill, 2025
7. The Uttarakhand Town and Country Planning and Development (Amendment) Bill, 2025
8. The Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993} (Amendment) Bill, 2025
9. The Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) (Amendment) Bill, 2025
10. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Bill, 2025
11. The Uttarakhand State Sports University Bill, 2025
12. The Uttarakhand Private University (Amendment) Bill, 2025
13. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Bill, 2025
14. The Uttarakhand Democracy Fighters' Honour Bill, 2025
15. The Uttarakhand Witness Protection (Repeal) Bill, 2025
16. The Uttarakhand Minority Education Bill, 2025
17. The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025

पश्चिम बंगाल

1. The West Bengal Finance Bill, 2025
2. The West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2025
3. The Revocation of West Bengal Incentive Schemes and Obligations in the Nature of Grants and Incentives Bill, 2025
4. The West Bengal Minorities' Commission (Amendment) Bill, 2025
5. The West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) (Amendment) Bill, 2025
6. The West Bengal Sales Tax (Settlement of Dispute) (Amendment) Bill, 2025

अनुलग्नक 2: 2025 में राज्यों द्वारा पारित, किंतु मंजूरी प्राप्त न करने वाले बिल्स की सूची

सूची में 2025 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स शामिल हैं जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है (25 मई, 2026 तक)।

आंध्र प्रदेश

1. The Factories (Andhra Pradesh Amendment) Bill, 2025
2. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Andhra Pradesh Amendment) Bill, 2025

असम

1. The Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025
2. The Indian Stamp Act (Amendment) Bill, 2025
3. The Registration (Assam Amendment) Bill, 2025
4. The Prevention of Cruelty to Animals (Assam Amendment) Bill, 2025

बिहार

1. The Bihar Agricultural University (Amendment) Bill, 2025

छत्तीसगढ़

1. The Registration (Chhattisgarh Amendment) Bill, 2025
2. The Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) (Amendment) Bill, 2025
3. The Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Service Conditions) (Amendment) Bill, 2025

गोवा

1. The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) (Goa Amendment) Bill, 2025
2. The Factories (Goa Amendment) Bill, 2025

गुजरात

1. The Gujarat Factories (Gujarat Amendment) Bill, 2025

हरियाणा

1. The Seeds (Haryana Amendment) Bill, 2025
2. The Insecticides (Haryana Amendment) Bill, 2025
3. The Haryana Municipal Bodies Bill, 2025

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Organised Crimes (Prevention and Control) Bill, 2025
2. The Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Controlled Substances (Prevention, De-addiction and Rehabilitation) Bill, 2025
3. The Himachal Pradesh Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2025
4. The Registration (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2025
5. The Real Estate (Regulation and Development) Himachal Pradesh Amendment Bill, 2025

झारखंड

1. The Jharkhand Tourism Development and Regulation (Amendment) Bill, 2025

कर्नाटक

1. The Karnataka Public Service Commission (Conduct of Business and Additional Functions) (Amendment) Bill, 2025
2. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Bill, 2025
3. The Notaries (Karnataka Amendment) Bill, 2025
4. The Prohibition of Child Marriage (Karnataka Amendment) Bill, 2025
5. The Registration (Karnataka Amendment) Bill, 2025
6. The Karnataka Devadasi (Prevention, Prohibition, Redress and Rehabilitation) Bill, 2025
7. The Karnataka Crowd Control (Management of Crowds at Events and Places of Assembly) Bill, 2025
8. The Drugs and Cosmetics (Karnataka Amendment) Bill, 2025
9. The Karnataka Hate Speech and Hate Crimes (Prevention) Bill, 2025
10. The Karnataka Scheduled Castes (Sub-Classification) Bill, 2025

केरल

1. The University Laws (Amendment) Bill, 2025
2. The University Laws (Amendment) (No.2) Bill, 2025
3. The Kerala State Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2025
4. The Wild Life Protection (Kerala Amendment) Bill, 2025
5. The Prevention of Cruelty to Animals (Kerala Amendment) Bill, 2025
6. The Kerala Excess Land in Private Holding (Regularization) Bill, 2025
7. The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology (Amendment) Bill, 2025
8. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2025
9. The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2025
10. The University Laws (Amendment) (No. 3) Bill, 2025
11. The University Laws (Amendment) (No. 4) Bill, 2025

मध्य प्रदेश

1. The Registration (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2025
2. The Madhya Pradesh Arbitration Tribunal (Amendment) Bill, 2025

मेघालय

1. The Factories (Meghalaya Amendment) Bill, 2025

मिज़ोरम

1. The Mizoram Local Bodies Ombudsman Bill, 2025

पंजाब

1. The Punjab Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025
2. The Prevention of Cruelty to Animals (Punjab Amendment) Bill, 2025
3. The Seeds (Punjab Amendment) Bill, 2025

राजस्थान

1. The Factories (Rajasthan Amendment) Bill, 2025

सिक्किम

1. The Swastik University Sikkim Bill, 2025

तमिलनाडु

1. The Criminal Laws (Tamil Nadu Amendment) Bill, 2025
2. The Kalaignar University Bill, 2025
3. The Tamil Nadu Physical Education and Sports University (Amendment) Bill, 2025
4. The Tamil Nadu Private Universities (Amendment) Bill, 2025
5. The Tamil Nadu Transparency in Tenders (Amendment) Bill, 2025
6. The Tamil Nadu Siddha Medical University Bill, 2025
7. The Tamil Nadu Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2025
8. The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2025

तेलंगाना

1. The Telangana Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats In Educational Institutions and of Appointments or Posts In The Services Under The State) Bill, 2025
2. The Telangana Backward Classes (Reservation of Seats In Rural and Urban Local Bodies) Bill, 2025
3. The Telangana Municipalities (Third Amendment) Bill, 2025
4. The Telangana Panchayat Raj (Third Amendment) Bill, 2025

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2025
2. The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Bill, 2025

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Activities (Amendment) Bill, 2025
2. The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Bill, 2025

3. The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Bill, 2025

पश्चिम बंगाल

1. The Netaji Subhash University of Sports and Entrepreneurship Bill, 2025
2. The West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal (Amendment) Bill, 2025

अनुलग्नक 3: 2025 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Metropolitan Region and Urban Development Authorities (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Andhra Pradesh Scheduled Castes (Sub-Classification) Ordinance, 2025
3. India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Andhra Pradesh Ordinance, 2025
4. The Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2025
5. The Andhra Pradesh Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) (Repeal) Ordinance, 2025
6. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Ordinance, 2025
7. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2025
8. The Andhra Pradesh Electricity Duty (Amendment) Ordinance, 2025
9. The Andhra Pradesh Fire Service (Amendment) Ordinance, 2025
10. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Ordinance, 2025
11. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Second Amendment) Ordinance, 2025

अरुणाचल प्रदेश

1. The Arunachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Arunachal Pradesh Local Authorities (Prohibition of Defection) (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Arunachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Arunachal Pradesh Staff Selection Board (Amendment) Ordinance, 2025
5. The Arunachal Pradesh Urban and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2025

असम

1. The Assam Right to Public Services (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Matak Autonomous Council (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Moran Autonomous Council (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Assam Good and Service Tax (Second Amendment) Ordinance, 2025
5. The Assam Shops and Establishments (Amendment) Ordinance, 2025
6. The Assam Contingency Fund (Augmentation of Corpus) Ordinance, 2025
7. The North Lakhimpur University (Amendment) Ordinance, 2025

बिहार

1. The Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Bihar Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2025

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Panchayat Raj (Amendment) Second Ordinance, 2025
2. The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty (Amendment) Ordinance, 2025

गोवा

1. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2025
2. The City of Panaji Corporation (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Goa Municipalities (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Goa Jan Vishwas (Laws Amendment) Ordinance, 2025
5. The Goa Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2025

गुजरात

1. The Gujarat Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2025
2. The Factories (Gujarat Amendment) Ordinance, 2025
3. The Gujarat Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025

हरियाणा

1. The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2025
2. The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025
3. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025
5. The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Ordinance, 2025
6. The Haryana Abadi Deh (Vesting, Recording and Resolving of Ownership Rights) Ordinance, 2025

हिमाचल प्रदेश

1. The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2025
2. The Himachal Pradesh Technical University (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025

जम्मू एवं कश्मीर

1. The Jammu and Kashmir Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025

कर्नाटक

1. The Bangalore Palace (Utilization and Regulation of Land) Ordinance, 2025
2. The Karnataka Micro Loan and Small Loan (Prevention of Coercive Actions) Ordinance, 2025
3. The Gadag-Betageri Business, Culture and Exhibition Authority (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Karnataka Platform Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Ordinance, 2025
5. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and other Staff) (Amendment) Ordinance, 2025
6. The Karnataka Compulsory Service by Candidates Completed Medical Courses (Amendment) Ordinance, 2025
7. The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Ordinance, 2025

केरल

1. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects the Services under the Universities) Amendment Ordinance, 2025

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Second Amendment) Ordinance, 2025
3. The Maharashtra Temporary Extension of Period for Submitting Validity Certificate (for certain elections to Village Panchayats, Zilla Parishads and Panchayat Samitis) Ordinance, 2025
4. The Gadchiroli District Mining Authority Ordinance, 2025
5. The Nashik- Trimbakeshwar Kumbh Mela Authority Ordinance, 2025
6. The Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions and Fees) (Amendment) Ordinance, 2025
7. The Maharashtra Public Trusts (Amendment) Ordinance, 2025
8. The Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025
9. The Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2025
10. The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings (Amendment) Ordinance, 2025
11. The Mumbai Municipal Corporation, Maharashtra Municipal Corporations and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2025
12. The Maharashtra Village Panchayats and Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Ordinance, 2025
13. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Third Amendment) Ordinance, 2025
14. The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis (Amendment) Ordinance, 2025

मेघालय

1. The Meghalaya Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Meghalaya State Investment Promotion & Facilitation (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Meghalaya State Investment Promotion & Facilitation (Amendment) Ordinance, 2025
6. The Meghalaya State Language (Amendment) Ordinance, 2025
7. The Meghalaya Private Universities (Regulation of Establishment and Maintenance of Standards) (Amendment) Ordinance, 2025
8. The Meghalaya Private Medical Institutions including Institutes under Private University (Regulation of Admission, Fixation of Fees, and Reservation) Ordinance, 2025
9. The Meghalaya Heritage (Amendment) Ordinance, 2025
10. The Meghalaya Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 2025
11. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2025

नागालैंड

1. The Nagaland Town and Country Planning (Fourth Amendment) Ordinance, 2025

ओड़िशा

1. The Odisha Universities (Amendment) Ordinance, 2025

2. The Odisha Jan Vishwas Ordinance, 2025
3. The Odisha Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025

पंजाब

1. The Punjab Law Officers (Engagement) Amendment Ordinance, 2025

राजस्थान

1. The Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025
3. The Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025

सिक्किम

1. The Sikkim Water Supply and Water Charges Ordinance, 2025
2. The Sikkim Sewerage and Sewage Disposal Ordinance 2025
3. The Sikkim Town and Country Planning Ordinance, 2025
4. The Sikkim Land Revenue Ordinance, 2025

तेलंगाना

1. The Telangana Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Telangana Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Telangana Municipalities (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Telangana Panchayat Raj (Second Amendment) Ordinance, 2025
5. The Telangana Panchayat Raj (Third Amendment) Ordinance, 2025
6. The Telangana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025
7. The Telangana (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalization of Staff Pattern and Pay Structure) (Amendment) Ordinance, 2025
8. The Telangana (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalization of Staff Pattern and Pay Structure) (Second Amendment) Ordinance, 2025
9. The Greater Hyderabad Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025
10. The Telangana Municipalities (Second Amendment) Ordinance, 2025
11. The Greater Hyderabad Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2025

त्रिपुरा

1. The Industrial Disputes (Tripura Third Amendment) Ordinance, 2025
2. The Tripura Shops and Establishments (Seventh Amendment) Ordinance, 2025
3. The Tripura Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Town Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Sanjay Gandhi Institute of Postgraduate Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Uttar Pradesh Shri Banke Bihari Ji Temple Trust Ordinance, 2025
4. The Uttar Pradesh Repeal Ordinance, 2025
5. The Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Ordinance, 2025
6. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2025
7. Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025
8. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2025
9. The Uttar Pradesh Pension Entitlement and Validation Ordinance, 2025
10. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2025
11. The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025
12. The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2025
13. The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2025
14. The Uttar Pradesh Ease of Doing Business (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025
15. The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission (Amendment) Ordinance, 2025
16. The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025
2. The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2025
3. The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Ordinance, 2025
4. The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2025
5. The Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025

[1] Select Committee on the Goa Outdoor Advertisement (Regulations & Control) Bill, 2025, Goa Legislative Assembly, August 7, 2025, https://www.goavidhansabha.gov.in/committee_detail.php?c_id=185&ass_id=14.

[2] Proceedings, Rajasthan Legislative Assembly, September, 10 2025, https://rlaaprise.rajasthan.gov.in/HouseProceedingView.aspx.

[3] Proceedings, Rajasthan Legislative Assembly, September 3, 2025, https://rlaaprise.rajasthan.gov.in/HouseProceedingView.aspx.

[4] Writ Petition (Civil) No 1264/2023, Supreme Court of India, November 29, 2025, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/45758/45758_2023_1_3_48678_Order_29-Nov-2023.pdf.

[5] Writ Petition (Civil) No 278/2024, Supreme Court of India, July 26, 2024, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/19028/19028_2024_1_24_54128_Order_26-Jul-2024.pdf.

[6] Writ Petition (Civil) No 1239 of 2023, Supreme Court of India, April 8, 2025, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/45314/45314_2023_11_1501_60770_Judgement_08-Apr-2025.pdf.

[7] In re: Assent, Withholding or Reservation of Bills by the Governor and the President of India, Special Reference No. 1 of 2025, Supreme Court of India, November 20, 2025, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/39157/39157_2025_1_1501_66169_Judgement_20-Nov-2025.pdf.

The Andhra Pradesh Lifts and Escalators Bill, 2025 The Andhra Pradesh Scheduled Castes (Sub-Classification) Bill, 2025 The Arunachal Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 2025 The Bongaigaon University (Amendment) Bill, 2025 The Assam Taxation (Liquidation of Arrear Dues) (Amendment) Bill, 2025 The Bihar Municipal (Amendment) Bill, 2025 The Bihar Platform Based Gig Workers (Registration, Safety and Welfare) Bill, 2025 The Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 The Chhattisgarh Agricultural Produce Market (Amendment) Bill, 2025 The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025 The Goa Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2025 The Gujarat Medical Practitioners' (Amendment) Bill, 2025 The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Bill, 2025 The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Bill, 2025 The Jammu and Kashmir Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2025 The Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprises (Special Exemption) Bill, 2025 The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University (Amendment) Bill, 2025 The Kerala Right to Public Service Bill, 2025 The Madhya Pradesh Metropolitan Region Planning and Development Bill, 2025 The Maharashtra Private Placement Agencies (Regulation) Bill, 2025 The Meghalaya State Investment Promotion & Facilitation (Amendment) Bill, 2025 The Mizoram Goods And Services Tax (First Amendment) Bill, 2025 The Nagaland Flood Plain Zoning Bill, 2025 The Odisha Universities (Amendment) Bill, 2025 The Puducherry Ease of Doing Business (Service Delivery) Bill, 2025 The Punjab Law Officers (Engagement) Amendment Bill, 2025 The Sikkim Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 2025 The Bharatpur Development Authority Bill, 2025 The Tamil Nadu Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2025 The Telangana Advocates Clerks Welfare Fund (Amendment) Bill, 2025 The West Bengal Minorities' Commission (Amendment) Bill, 2025 The Uttar Pradesh Public Records Bill, 2025 The Uttarakhand Minority Education Bill, 2025 The Tripura Excise (Fifth Amendment) Bill,

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़
तीसरी मंज़िल, गंधर्व महाविद्यालय
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली–110002
टेलीफोन: (011) 2323 4801, 4343 4035
www.prsindia.org